रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 06 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 15, 1946 शक संवत्) [संख्या 27

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	509–526	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	593–608	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	115–120	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	525–564	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

वित्त (सेवायें) विभाग

अनुभाग–2

विज्ञप्ति / नियुक्ति

14 मार्च, 2024 ई0

सं0 30 / 2024 / एस-2-347 / दस-2024-178 / 2022–सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री खुशबू सोनी पुत्री श्री नवल किशोर 263 / 1-ए, छोटा बघाड़ा, प्रयागराज, उ0प्र0-211002 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 / – (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी / लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1–सुश्री सोनी आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं / प्रमाण पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगी–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति / पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2–निदेशक, कोषागार सुश्री सोनी की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं सुश्री सोनी को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3–उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4–सुश्री सोनी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—सुश्री सोनी को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—सुश्री सोनी को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सुश्री सोनी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सुश्री सोनी को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में सुश्री सोनी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 31/2024/एस-2-348/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री आनन्द तिवारी पुत्र श्री प्रमोद कुमार तिवारी, पता-57 काजी गढ़ी, काकोरी, जनपद लखनऊ 226101 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री तिवारी आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री तिवारी की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री तिवारी को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वरूसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री तिवारी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री तिवारी को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री तिवारी को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री तिवारी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री तिवारी को किसी भी प्रकार का यात्रा -भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री तिवारी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 32/2024/एस-2-349/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री पीयूष सिंह पुत्र श्री अनुपम सिंह, पता-ग्राम व पोस्ट सहजौरा, जनपद रायबरेली-229122 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वरूसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री सिंह को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 33/2024/एस-2-350/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री कौशल अग्रवाल पुत्र श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, पता-बालाजी वस्त्र केन्द्र, हाथरस रोड, इग्लास जनपद अलीगढ़-202124 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री अग्रवाल आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री अग्रवाल की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री अग्रवाल को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वरूसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री अग्रवाल को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री अग्रवाल को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री अग्रवाल को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री अग्रवाल को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री अग्रवाल को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री अग्रवाल के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 34/2024/एस-2-351/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री रिया सिन्हा पुत्री श्री प्रजेश कुमार सिन्हा पता-12बी, शिवपुरी जनपद सीतापुर-261001 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए

प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1–सुश्री सिन्हा आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2–निदेशक, कोषागार सुश्री सिन्हा की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं सुश्री सिन्हा को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3–उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वरूसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4–सुश्री सिन्हा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5–सुश्री सिन्हा को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6–सुश्री सिन्हा को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7–प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सुश्री सिन्हा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सुश्री सिन्हा को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8–प्रशिक्षण की अवधि में सुश्री सिन्हा के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 35/2024/एस-2-352/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री विजय शर्मा पुत्र श्री आर0एल0 शर्मा पता-बी0एच0 76, दीन दयाल नगर, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474020 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री शर्मा आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री शर्मा की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री शर्मा को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री शर्मा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री शर्मा को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री शर्मा को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री शर्मा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री शर्मा को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री शर्मा के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 36/2024/एस-2-353/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री अंकिता सिंह पुत्री श्री राम नरेश चौहान पता-922 आर0, सिविल लाइन्स वी0आई0पी0 रोड, फतेहपुर उ0प्र0-212601 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—सुश्री सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार सुश्री सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं सुश्री सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—सुश्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—सुश्री सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—सुश्री सिंह को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सुश्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सुश्री सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में सुश्री सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 37/2024/एस-2-354/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री शिवम गुप्ता पुत्र श्री रामदेव गुप्ता पता-ग्राम व पोस्ट-कहरा जनपद-महोबा 210504 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री गुप्ता आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री गुप्ता की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री गुप्ता को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री गुप्ता को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री गुप्ता को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री गुप्ता को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री गुप्ता को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री गुप्ता को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री गुप्ता के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 38/2024/एस-2-355/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री दीपक सिंह चीमा पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार पता-ग्राम अकडौली, जनपद हापुड़ 245101 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री सिंह को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 39/2024/एस-2-356/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री पीयूष शर्मा पुत्र श्री ब्रजराज शर्मा पता-म0नं0-16, मोहल्ला शुक्लापुर, मोहम्मदी लखीमपुर खीरी, 262804 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री शर्मा आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री शर्मा की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री शर्मा को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री शर्मा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री शर्मा को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री शर्मा को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री शर्मा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री शर्मा को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री शर्मा के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 40/2024/एस-2-357/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री सरिता लिधोरिया पुत्री श्री दयाराम लिधोरिया पता-29 झंडापुरा, रमपुरा, रानीपुर, झांसी-284205 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1–सुश्री लिधोरिया आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2–निदेशक, कोषागार सुश्री लिधोरिया की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं सुश्री लिधोरिया को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3–उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4–सुश्री लिधोरिया को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा-संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5–सुश्री लिधोरिया को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6–सुश्री लिधोरिया को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7–प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सुश्री लिधोरिया को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा-संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सुश्री लिधोरिया को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8–प्रशिक्षण की अवधि में सुश्री लिधोरिया के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 41/2024/एस-2-358/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री विजया राजू पुत्री श्री शिशिर कुमार राजू पता-टीएफ—01, तृतीय तल, 226 निती खण्ड-1, पार्श्वनाथ लेन, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद-201014 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—सुश्री राजू आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार सुश्री राजू की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं सुश्री राजू को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—सुश्री राजू को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा-संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—सुश्री राजू को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—सुश्री राजू को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सुश्री राजू को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सुश्री राजू को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में सुश्री राजू के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 42/2024/एस-2-359/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री विनय कुमार गौरव पुत्र श्री जगजीवन पता-ग्राम-हथौटा पोस्ट मन्ढ़े, जनपद आजमगढ़ 276001 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री गौरव आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री गौरव की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री गौरव को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री गौरव को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा-संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री गौरव को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री गौरव को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह जात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री गौरव को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री गौरव को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री गौरव के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 43/2024/एस-2-360/दस-2024-178/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री पुनीत सिंह कर्दम पुत्र श्री करन सिंह पता-212 नवीकरीम मिनाक्षी रोड़, हापुड़ 245101 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

1—श्री कर्दम आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

2—निदेशक, कोषागार श्री कर्दम की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री कर्दम को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

3—उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4—श्री कर्दम को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा-संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

5—श्री कर्दम को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6—श्री कर्दम को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

7—प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री कर्दम को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री कर्दम को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8—प्रशिक्षण की अवधि में श्री कर्दम के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—14 हिन्दी गजट—भाग 1—2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 15, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर

[(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

अधिसूचना

22 जून, 2024 ई0

सं0 399(i) / आठ–वि0भू0अ0अ0 / सिद्धार्थनगर / अधि0सू0 / 2024–25–अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2, शोहरतगढ़ मुख्यालय बढ़नी सिद्धार्थनगर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत इटवा शाखा के किमी0 18.300 से किमी0 19.400 के मध्य गैप के निर्माण हेतु जिला–सिद्धार्थनगर, तहसील–इटवा, परगना–बाँसी पश्चिम, ग्राम–सेमरी में स्थित 1.664413 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–9001 / आठ–वि0भू0अ0अ0 / सि0नगर / अधि0सू0 / 2023–24 / दिनांक 13 फरवरी 2024 को निर्गत की गयी है तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट में दिनांक 02 मार्च 2024 को प्रकाशित की गयी है। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.04.2024 पर विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू–खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	25/1	0.00027
,,	,,	,,	,,	25/2	
,,	,,	,,	,,	31	0.00149
,,	,,	,,	,,	32	0.00542
,,	,,	,,	,,	917	0.00068
,,	,,	,,	,,	921	0.00352
,,	,,	,,	,,	36	0.00108
,,	,,	,,	,,	931	0.00230
,,	,,	,,	,,	1133	0.00108
,,	,,	,,	,,	1134	0.00230
,,	,,	,,	,,	1726	0.00609
,,	,,	,,	,,	1137	0.00731
,,	,,	,,	,,	1163	0.00081
,,	,,	,,	,,	1170	0.00027
,,	,,	,,	,,	1174	0.00027
,,	,,	,,	,,	1258	0.00135
,,	,,	,,	,,	1262	0.00230
,,	,,	,,	,,	1267	0.00095
,,	,,	,,	,,	1292	0.00081
,,	,,	,,	,,	1296	0.00108
,,	,,	,,	,,	1297	0.00230
,,	,,	,,	,,	1398मि0	0.00474
,,	,,	,,	,,	1402	0.00108
,,	,,	,,	,,	1489मि0	0.00718
,,	,,	,,	,,	1730	0.00325
,,	,,	,,	,,	1758	0.00393
,,	,,	,,	,,	1763	0.00907
,,	,,	,,	,,	1809	0.01788
,,	,,	,,	,,	1889	0.00704
,,	,,	,,	,,	1893	0.00081

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1894	0.00989
,,	,,	,,	,,	1901	0.00176
,,	,,	,,	,,	1906	0.00352
,,	,,	,,	,,	1910	0.00311
,,	,,	,,	,,	1915	0.00339
,,	,,	,,	,,	1919	0.00284
,,	,,	,,	,,	26	0.004
,,	,,	,,	,,	27	0.003
,,	,,	,,	,,	28	0.005
,,	,,	,,	,,	29	0.001
,,	,,	,,	,,	915	0.008
,,	,,	,,	,,	37/01	0.044
,,	,,	,,	,,	37/02	
,,	,,	,,	,,	38/1	0.041
,,	,,	,,	,,	38/2	
,,	,,	,,	,,	39/1	0.022
,,	,,	,,	,,	39/2	
,,	,,	,,	,,	1075/1	0.038
,,	,,	,,	,,	1076/1	0.036
,,	,,	,,	,,	1135	0.010
,,	,,	,,	,,	1136	0.010
,,	,,	,,	,,	1164	0.005
,,	,,	,,	,,	1263	0.012
,,	,,	,,	,,	1264	0.013
,,	,,	,,	,,	1266	0.003
,,	,,	,,	,,	1172मि0	0.001
,,	,,	,,	,,	1298	0.008
,,	,,	,,	,,	1299	0.007
,,	,,	,,	,,	1301	0.008
,,	,,	,,	,,	1394	0.005
,,	,,	,,	,,	1396	0.007
,,	,,	,,	,,	1397	0.007
,,	,,	,,	,,	1487मि0	0.002

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1488	0.020
,,	,,	,,	,,	1491	0.044
,,	,,	,,	,,	1723	0.002
,,	,,	,,	,,	1724	0.004
,,	,,	,,	,,	1725	0.013
,,	,,	,,	,,	1768	0.025
,,	,,	,,	,,	1769	0.027
,,	,,	,,	,,	1807	0.023
,,	,,	,,	,,	1808	0.004
,,	,,	,,	,,	1890	0.074
,,	,,	,,	,,	1891	0.136
,,	,,	,,	,,	1892	0.006
,,	,,	,,	,,	1896	0.020
,,	,,	,,	,,	1897	0.020
,,	,,	,,	,,	1898	0.021
,,	,,	,,	,,	1899	0.008
,,	,,	,,	,,	1904	0.027
,,	,,	,,	,,	1905	0.013
,,	,,	,,	,,	1913	0.023
,,	,,	,,	,,	1914	0.008
,,	,,	,,	,,	30	0.0015
,,	,,	,,	,,	33	0.004
,,	,,	,,	,,	40 / 1	0.001
,,	,,	,,	,,	40 / 2	
,,	,,	,,	,,	918	0.004
,,	,,	,,	,,	926	0.0045
,,	,,	,,	,,	1074 / 1	0.006
,,	,,	,,	,,	1077 / 1	0.043
,,	,,	,,	,,	1077 / 2	
,,	,,	,,	,,	1130	0.004
,,	,,	,,	,,	1169	0.0035
,,	,,	,,	,,	1171	0.0015
,,	,,	,,	,,	1302	0.0015

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1393	0.002
,,	,,	,,	,,	1404मि0	0.0125
,,	,,	,,	,,	1492	0.007
,,	,,	,,	,,	1757	0.014
,,	,,	,,	,,	1900	0.017
,,	,,	,,	,,	1916	0.004
,,	,,	,,	,,	34	0.004
,,	,,	,,	,,	961	0.002
,,	,,	,,	,,	35	0.004
,,	,,	,,	,,	919	0.006
,,	,,	,,	,,	927	0.008
,,	,,	,,	,,	928	0.008
,,	,,	,,	,,	960	0.003
,,	,,	,,	,,	1071	0.031
,,	,,	,,	,,	1072	0.014
,,	,,	,,	,,	1073	0.011
,,	,,	,,	,,	1129	0.010
,,	,,	,,	,,	1131	0.004
,,	,,	,,	,,	1132	0.004
,,	,,	,,	,,	1168	0.003
,,	,,	,,	,,	1294	0.004
,,	,,	,,	,,	1399	0.005
,,	,,	,,	,,	1493	0.039
,,	,,	,,	,,	1400	0.001
,,	,,	,,	,,	1759	0.008
,,	,,	,,	,,	1762	0.007
,,	,,	,,	,,	1895	0.018
,,	,,	,,	,,	1907	0.028
,,	,,	,,	,,	1908	0.003
,,	,,	,,	,,	923मि0	0.0010154
,,	,,	,,	,,	1127मि0	0.00007777
,,	,,	,,	,,	1128	0.00078206
,,	,,	,,	,,	1172मि0	0.00007777
,,	,,	,,	,,	933	0.008
,,	,,	,,	,,	934	0.008
,,	,,	,,	,,	951	0.005
,,	,,	,,	,,	952	0.004

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	1065	0.001
,,	,,	,,	,,	1066	0.007
,,	,,	,,	,,	1285	0.003
,,	,,	,,	,,	1286	0.003
,,	,,	,,	,,	1371	0.004
,,	,,	,,	,,	1372	0.004
,,	,,	,,	,,	1754	0.009
,,	,,	,,	,,	1755	0.007
,,	,,	,,	,,	1772	0.007
,,	,,	,,	,,	1773	0.007
,,	,,	,,	,,	1838	0.003
,,	,,	,,	,,	1839	0.026
,,	,,	,,	,,	940	0.00449
,,	,,	,,	,,	947	0.00050
,,	,,	,,	,,	1070	0.00018
,,	,,	,,	,,	1159	0.00055
,,	,,	,,	,,	1255	0.00014
,,	,,	,,	,,	1280	0.00087
,,	,,	,,	,,	1289	0.00028
,,	,,	,,	,,	1290	0.00018
,,	,,	,,	,,	1364	0.00014
,,	,,	,,	,,	1405	0.00364
,,	,,	,,	,,	1751	0.00494
,,	,,	,,	,,	1778	0.00009
,,	,,	,,	,,	1819	0.00009
,,	,,	,,	,,	1846	0.00748
,,	,,	,,	,,	1922	0.00307
,,	,,	,,	,,	1270	0.012
,,	,,	,,	,,	1283	0.008
,,	,,	,,	,,	1369	0.015
,,	,,	,,	,,	1753	0.024
,,	,,	,,	,,	1770	0.014
,,	,,	,,	,,	1813	0.008
,,	,,	,,	,,	1841	0.048
,,	,,	,,	,,	944	0.00501
,,	,,	,,	,,	945	0.00334
,,	,,	,,	,,	957	0.00601

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	958/1	0.00818
,,	,,	,,	,,	958/2	
,,	,,	,,	,,	959	0.00200
,,	,,	,,	,,	1161	0.00134
,,	,,	,,	,,	1162	0.00134
,,	,,	,,	,,	1281	0.00317
,,	,,	,,	,,	1282	0.00267
,,	,,	,,	,,	1291	0.00367
,,	,,	,,	,,	1366	0.00300
,,	,,	,,	,,	1403	0.00401
,,	,,	,,	,,	1404मि0	0.00417
,,	,,	,,	,,	1745	0.00551
,,	,,	,,	,,	1746	0.00417
,,	,,	,,	,,	1781	0.00591
,,	,,	,,	,,	1782	0.00017
,,	,,	,,	,,	1815	0.00067
,,	,,	,,	,,	1816	0.00083
,,	,,	,,	,,	1842	0.01137
,,	,,	,,	,,	1843	0.01218
,,	,,	,,	,,	1367	0.00618
,,	,,	,,	,,	1165मि0	0.0005
,,	,,	,,	,,	1490	0.00375
				योग . .	**1.657913**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू–खण्ड सं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
सिद्धार्थनगर	इटवा	बाँसी पश्चिम	सेमरी	शून्य	शून्य

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

12 मार्च, 2024 ई0

सं0 1592/जी0-28/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी परगना कोट जनपद बदायूं के ग्राम रामपुर टांडा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

13 मार्च, 2024 ई0

सं0 1593/जी0-216/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के ग्राम सुनाना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

जी0एस0 नवीन कुमार,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

शुद्धि-पत्र

15 मार्च, 2024 ई0

सं0 1638/जी0-610/2023-24(4)—निदेशालय के पत्र संख्या-449/जी0-610/2023-24(4) दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा जनपद सोनभद्र के ग्राम-कम्हारियां को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4(2) के अन्तर्गत प्रथम चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें त्रुटिवश ग्राम कम्हरियां की तहसील रार्ब्ट्सगंज अंकित हो गयी है। जबकि ग्राम की शुद्ध तहसील घोरावल जनपद सोनभद्र है।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-449/जी0-610/2023-24(4) दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में जनपद सोनभद्र के ग्राम कम्हरियां की तहसील रार्ब्ट्सगंज के स्थान पर घोरावल पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

सं0 1639/जी0-610/2023-24(4)—निदेशालय के पत्र संख्या-468/जी0-610/2023-24(4) दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा जनपद आजमगढ़ के ग्राम-आराजी अजगरा मशर्की को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4(2) के अन्तर्गत प्रथम चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें त्रुटिवश ग्राम का नाम आराजी अजगरा मशर्की अंकित हो गया है। जबकि ग्राम का शुद्ध नाम अजगरा मशर्की है।

अतः निदेशालय के पत्र संख्या-468/जी0-610/2023-24(4) दिनांक 19 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में जनपद आजमगढ़ के ग्राम का नाम आराजी अजगरा मशर्की के स्थान पर अजगरा मशर्की पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

तरूण कुमार मिश्र,
अपर निदेशक चकबन्दी (प्रा0),
उत्तर प्रदेश।

19 मार्च, 2024 ई0

सं0 1651/जी0-157/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं023/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हर्रैया परगना बस्ती पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम बभनगांवाकला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1652/जी0-61B/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चन्दौसी जनपद सम्भल के ग्राम कुंवरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1653/जी0-240/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेल्थरा रोड पगरना सिकन्दरपुर गर्वी जनपद बलिया के ग्राम मलेरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1654/जी0-240/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेल्थरा रोड पगरना सिकन्दरपुर गर्वी जनपद बलिया के ग्राम मुहम्मदपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1655/जी0-61B/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चन्दौसी जनपद सम्भल के ग्राम कमालपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1656/जी0-236/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नगीना परगना बढ़ापुर जनपद बिजनौर के ग्राम रहमापुर उस्मापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1657/जी0-225/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खागा परगना एकडला जनपद फतेहपुर के ग्राम पाई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1658/जी0-48/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना चिरैयाकोट जनपद आजमगढ़ के ग्राम धनारबांध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1659/जी0-169/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना टाण्डा जनपद रामपुर के ग्राम मेवला कलां में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1660/जी0-61B/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चन्दौसी जनपद सम्भल के ग्राम बमनपुरी कला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1661/जी0-183/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील गुन्नौर, जनपद-सम्भल के ग्राम डूडाबाग में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3318/जी0-183/66 दिनांक 04 अगस्त, 1997 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1662/जी0-610/2020-21/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद-एटा के ग्राम तरगवां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1663/जी0-61B/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील चन्दौसी, जनपद-सम्भल के ग्राम बड़ेरिया में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3889/जी0-61ए/57-06 दिनांक 27 अक्टूबर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1664/जी0-610/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद-एटा के ग्राम भिड़ैया उर्फ मधुवन में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

20 मार्च, 2024 ई0

सं0 1729/जी0-161/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद-रायबरेली के ग्राम सुल्तानपुर खेड़ा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1342/जी0-610/2012 दिनांक 24 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1730/जी0-610/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद-एटा के ग्राम लालपुर जहाँगीराबाद में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1731/जी0-610/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद-एटा के ग्राम नखतपुरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1732/जी0-610/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद-एटा के ग्राम मनिकपुरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1733/जी0-610/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद-एटा के ग्राम मसूलिया में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1734/जी0-610/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील अलीगंज, जनपद-एटा के ग्राम धरौली में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1735/जी0-171/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सीतापुर, जनपद-सीतापुर के ग्राम भवानीपुर कालिकाबक्श में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2692/जी0-171/59 दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1736/जी0-48/2023-24/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद-आजमगढ़ के ग्राम गोधौरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4733/जी0-48-80 दिनांक 13 अप्रैल, 1992 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0 1737/जी0-163/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना करहल, जनपद-मैनपुरी के ग्राम खेड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1738/जी0-329/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शिकारपुर, परगना पहासू, जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम सुरजावली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1739/जी0-163/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरदोई, परगना गोपामऊ, जनपद-हरदोई के ग्राम पाला में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1740/जी0-233/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शाहाबाद, परगना पण्डरवा, जनपद-हरदोई के ग्राम सैदापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1741/जी0-201/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, परगना कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम बढ़वार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1742/जी0-201/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, परगना कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम ढेढ़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

01 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 1880/जी0-247/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर, परगना सिकन्दरा, जनपद-प्रयागराज के ग्राम गड़ौर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1881/जी0-247/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर, परगना सिकन्दरा, जनपद-प्रयागराज के ग्राम परमानन्दपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1882/जी0-161/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा, परगना महुली पूरब, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम सांखी, तप्पा-सिरसी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1883 / जी0-362ए / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा, परगना हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम जंगल हथियागढ़ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1885 / जी0-247 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर, परगना सिकन्दरा, जनपद-प्रयागराज के ग्राम मुरादपुर उर्फ खिदिरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1886 / जी0-362ए / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा, परगना हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम सोनवल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1887 / जी0-362ए / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा, परगना हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम हर्रैया रघुवीर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1888 / जी0-167 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर के ग्राम बीबीपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1889 / जी0-161 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा, परगना महुली पूरब, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम सेमरी खास में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1890 / जी0-161ए / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कर्वी, नवसृजित तहसील राजापुर, परगना राजापुर, जनपद-चित्रकूट के ग्राम सुरकिहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1891 / जी0-161 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कर्वी, नवसृजित तहसील मानिकपुर, परगना मानिकपुर, जनपद-चित्रकूट के ग्राम चरदहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1892 / जी0-213 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासगंज, परगना सोरों, जनपद-कासगंज के ग्राम फरीदनगर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1893 / जी0-167ए / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात के ग्राम अंगदपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1894 / जी0-166A / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना धौरहरा, जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम मल्लबेहड़ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1895 / जी0-152 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना महोबा, जनपद-महोबा के ग्राम हिलुआ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1896 / जी0-48 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, परगना मुहम्मदाबाद, जनपद-आजमगढ़ के ग्राम हरैया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1897 / जी0-161 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा, परगना महुली पश्चिम, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम मरचा, तप्पा-शिवबखरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1898 / जी0-172 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील तरबगंज, परगना डिक्सिर, जनपद-गोण्डा के ग्राम निहालपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1899 / जी0-228 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना गोण्डा, जनपद-गोण्डा के ग्राम त्रिलोकपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1900 / जी0-155 / 2023-24 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, जी0एस0 नवीन कुमार, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां, जनपद-सीतापुर के ग्राम भीरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

जी0एस0 नवीन कुमार,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—14 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 15, 1946 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

तारीख 10 अक्टूबर, 2023 ई0
18 आश्विन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0-लो0स0/02/2023(इला0)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग वर्ष 2023 की निर्वाचन याचिका संख्या 2 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 04 अगस्त, 2023 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आज्ञा से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
रत्नेश सिंह,
विशेष सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *10th October, 2023* / *18 Asvina, 1945 (Saka)*

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/2/2023(Alld.)–In pursuance of Section 106 of the Represenstation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the Judgement dated 04th August, 2023 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 2 of 2023.

By order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
RATNESH SINGH,
Special Secretary.

Election Petition No. 2 of 2023

(Under section 80, 80-A/81-117 of the Representation of People Act, 1951)

District : Bhadohi.

Akhilesh (Dr. Akhilesh Kumar Dwivedi)
Son of late Bal Mukund Dwivedi
Resident of Village Badi Bahmnauti, post Uchetha
Tahsil Aurai Sant Ravidas Nagar, Bhadohi.

-------- Petitioner

Versus

Shri Ramesh Chand son of Shri Ram Chandar
Resident of Village Etawan post Amoi, District Mirzapur

-------- Respondent

Neutral Citation No. - 2023:AHC:157150

Court No.-42

Case :- ELECTION PETITION No. 2 of 2023

Petitioner :- Akhilesh (Dr. Akhilesh Kumar Dwivedi)

Respondent :- Shri Ramesh Chand

Counsel for Petitioner :- Akhilesh Kumar Dwivedi

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani, *J.*

1. Heard Shri Akhilesh Kumar Dwivedi in person on Delay Condonation Application No. 2 of 2023 filed along with this election petition.

2. As per report of the stamp reporter, this election petition has been filed beyond time by 1458 days.

3. As per Section 81 of The Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as 'The Act, 1951'), election petition has to be presented within 45 days.

4. In Election Petition No.1 of 2014 (Mohan Lal And Another *vs.* State Of U. P. through Secretary to The Chairman And 7 Others) decided on 18.04.2014 and in Election Petition No. 2 of 2021 (Ram Nath Priyadarshi Suman *vs.* The Chief Election Commissioner Of India And 3 Others) decided on 23.07.2021, it has been held that an election petition presented beyond the period of limitation provided under Section 81 of The Act, 1951, is a petition which does not comply with the statutory provisions of Section 81 of The Act, 1951 and, consequently, it is liable to be dismissed. It has also been held that the provisions of the Limitation Act shall not apply to an election petition.

5. The judgement in the Election Petition No. 1 of 2014 (Mohan Lal And Another *vs.* State Of U. P. through Secretary to The Chairman And 7 Others) decided on 18.04.2014 is reproduced below:

"The petition was adjourned on the last date.

No one appears for the petitioners even today even though the name of the counsel is printed in the cause list.

I have perused the petition.

This is an election petition filed by two petitioners for quashing the order dated 16.2.2013 declaring the election of Smt. Laxmi Gautam, respondent No.4 from the 31 Legislative Assembly (Reserve Constituency) Chandausi, U.P.

The election petition was presented on 13.2.2014.

The petition as per the office report dated 23.1.2014 is beyond time by 1 year 278 days. There is no objection against the said report. Section 81 of the Act provides for presenting an election petition on the pecified grounds within forty five days of the election of the returned candidate or if there are more than one returned candidate and the dates of their election are different, the later of those two dates.

The petitioners in paragraph 6 of the petition states the election result was declared on 6.3.2012 and the respondent No. 4 (wrongly mentioned as respondent No. 5) was placed at serial No.1 meaning to have been declared elected.

The petition is therefore clearly beyond time as reported.

An election petition is not an action in common law or in equity but under a statute which provides that no election to the Parliament or to any State Legislature can be called in question except by an election petition presented in accordance with the Representation of the People Act, 1951. Therefore, the rule of statutory limitation applies to election petitions.

The election petition which is in the nature of original proceedings has to be presented strictly within the limitation contained in the Act. There is no provision in the Act to condone the delay in its filing. The Act is a complete and a self contained code which does not admit introduction of the principles or the provisions of law contained in the Limitation Act and, therefore, the Limitation Act is not applicable to the election petitions *vide* **K. Venkereswara Rao and another** *vs.***. Bekkam Narsimha Reddi and others AIR 1969 SC 872.**

In **Hukumdev Narain Yadav** *vs.* **Lalit Narain Misra AIR 1974 SC 480** it has been held that even if the special law *i.e*. Representation of Peoples Act, 1951 does not specifically exclude the provisions of Section 4 to 24 of the Limitation Act nonetheless as the Act is a complete code in itself the provisions of the Limitation Act must be held to be necessarily excluded. Therefore, as the Limitation Act is not applicable to the election petitions under the Act, the delay in presentation of election petition is not liable to be condoned.

The Court otherwise also has no power to condone any delay in the filing of the election petition.

Section 86(1) of the Representatives of Peoples Act, 1951 provides that the High Court shall dismiss an election petition for non compliance of provisions of Section 81 or Section 82 or Section 117 and the order dismissing the election petition under this sub-section shall be deemed to be an order made under clause (1) of Section 98 of the Act which is liable to be dismissed under Section 86(1) of the Act.

In view of the above, as the election petition has been presented beyond the period of limitation provided under Section 81 of the Act, it is a petition which does not comply with the statutory provision of Section 81 of the Act.

Accordingly, the petition is dismissed summarily under Section 86 of the Act for non compliance of provisions of Section 81 of the Act."

6. The other judgement in the Election Petition No. 2 of 2021 (Ram Nath Priyadarshi Suman *vs.* The Chief Election Commissioner Of India And 3 Others) decided on 23.07.2021 is reproduced below:

"Shri Vidya Sagar, Advocate has filed his appearance on behalf of the petitioner in this election petition. The same is taken on record.

Heard learned counsel for the petitioner and Shri Tarun Agrawal, who appears for the State Election Commission.

This is an election petition filed by two petitioner for quashing the order dated 25.05.2019 declaring Smt. Keshari Devi Patel, respondent No. 4 as elected from the Phoolpur Lok Sabha Constituency No. 51, Prayagraj, Uttar Pradesh.

The election petition was presented on 25.03.2021.

The petition as per the office report dated 23.1.2014 is beyond time by 626 days.

There is no objection against the said report.

The petition is therefore clearly beyond time as reported.

The election petition which is in the nature of original proceedings has to be presented strictly within the limitation contained in the Act. There is no provision in the Act to condone the delay in its filing. The Act is a complete and a self contained code which does not admit introduction of the principles or the provisions of law contained in the Limitation Act and, therefore, the limitation Act is not applicable to the election petitions *vide* **K. Venkereswara Rao and another** *vs.* **Bekkam Narsimha Reddi & others AIR 1969 SC 872.**

In **Hukumdev Narain Yadav** *vs.* **Lalit Narain Misra AIR 1974 SC 480** it has been held that even if the special law *i.e*. Representation of Peoples Act, 1951 does not specifically exclude the provisions of Section 4 to 24 of the Limitation Act nonetheless as the Act is a complete code in itself the provisions of the Limitation Act must be held to be necessarily excluded. Therefore, as the Limitation Act is not applicable to the election petitions under the Act, the delay in presentation of election petition is not liable to be condoned.

In view of the above, as the election petition has been presented beyond the period of limitation provided under Section 81 of the Act, it is a petition which does not comply with the statutory provision of Section 81 of the Act.

Accordingly, the petition is dismissed summarily under Section 86 of the Act for non compliance of provisions of Section 81 of the Act."

7. In view of the aforequoted judgements of Co-ordinate Benches of this Court in the case of Mohan Lal And Another (supra) and Ram Nath Priyadarshi Suman (supra), this election petition is **dismissed.**

Surya Prakash Kesarwani, *J.*

पी0एस0यू0पी0–14 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी०एस०यू०पी०–70 निर्वाचन–06.07.2024–25 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 15, 1946 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगरपालिका परिषद नूरपुर, बिजनौर

नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि–2022

08 मई, 2024 ई0

सं0 2114/न0पा0परि0नू0/24-25–नगरपालिका परिषद नूरपुर जनपद बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022 नगरपालिका अधिनियम-1916 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उपविधि तैयार की गयी है। विज्ञप्ति सं0-660/2021-22 दिनांक 14 मार्च, 2022 का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स के अंक 15 मार्च, 2022 एवं दैनिक समाचार-पत्र शाह टाईम्स के अंक दिनांक 15 मार्च, 2022 में हुआ। निर्धारित अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022 के संबंध में कोई आपत्ति एवं जन सुझाव जन साधारण से प्राप्त नहीं हुआ। नगरपालिका परिषद नूरपुर जनपद बिजनौर की बोर्ड बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के प्रस्ताव सं0-12 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022 को राजकीय गजट में प्रकाशन कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022 राजकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगरपालिका परिषद नूरपुर की सीमा में प्रभावी होगी। स्वीकृत उपविधि का विवरण निम्नवत् है–

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2016 को अधिसूचना जारी करके पूर्व प्रचलित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के स्थान पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 निर्गत किया है जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि वर्णित नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाये।

भारत सरकार के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन योजना लागू है। इस योजना में शहर की सफाई, स्वच्छता कूड़े का प्रबन्धन, जनसहभागिता आदि महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे है। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए खुले में शौच को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने जिन भवनों में शौचालय नहीं है उनमें शौचालय का निर्माण करने सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था करने का प्राविधान है। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए

उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को दण्डित करने हेतु ''नगर पालिका परिषद नूरपुर बिजनौर द्वारा उपविधि तैयार की गई है जो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि, 2022 कहलायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022

1– संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

(1) इस उपविधि का नाम नगरपालिका परिषद नूरपुर (बिजनौर) की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि 2022 कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2– लागू होनाः–

यह उपविधि नगरपालिका परिषद् नूरपुर बिजनौर की सीमा में (भविष्य में विस्तार के फलस्वरुप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर में सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगरपालिका परिषद नूरपुर बिजनौर की सीमा में हैं, पर लागू होगी।

3– इस उपविधि में जबतक कि इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् हैः–

परिभाषायेंः–

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियामावली में–

1– ''अभिकरण या अभिकर्ता'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद नूरपुर बिजनौर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या ऐजेंसी या फर्म या संविदाकर्ता से है जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबन्धन, परिवहन, भण्डारन, प्रतिकरण, संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

2– ''जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडेवुल वेस्ट)'' से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरुप पेड़ पौधों और जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन और फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माईक्रो आर्गेनिज्म द्वारा डीग्रेड/डीकम्पोज हो सकता है।

3– ''जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्रणाली या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रिया कलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची 3 में उल्लेखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

4– शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य बायोडीग्रेडेबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्टो से है और जिसके अन्तर्गत रिसाईक्लेबिल अपशिष्ट नॉन रिसाईक्लेबिल अपशिष्ट ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेट्री नेपकिन और डाईपर आदि से है।

5– ''घरेलू परिसंकट मय (हजार्डस)'' अपशिष्ट से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारण अपशिष्टों जैसे फेके हुए पेन्ट के ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, टयूब लाईटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, प्रयुक्त बैट्रियां, प्रयुक्त सुईयां, तथा सीरिन्ज और सन्दूशित पट्टियां आदि से है।

6– ''बायो-मीथेनेशन'' से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माईक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाईमी डिकम्पोजिशन/ब्रेकिंग डाउन होता है, जिसके कारण मिथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

7– ''द्वार-द्वार संग्रहण'' से तात्पर्य घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाईटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कम्पलैक्स या परिसर में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्तल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

8– ''विकेन्द्रित प्रसंस्करण'' से तात्पर्य बायोडीग्रेडेबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिये बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रिसाईक्लेबुल सामग्रीयों की प्रति प्राप्ती करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिये अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े ।

9– ''ब्राण्ड ओनर'' से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रैंड लेवल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

10– ''निपटान'' से तात्पर्य भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु, के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिये यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की शिल्ट का अन्तिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

11– ''नगर निकाय'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद नूरपुर बिजनौर से है।

12– ''वृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)'' से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किग्रा0 की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक/प्राईवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजो, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों, मैरिज हॉल और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिम खाना, शादी घर, मनोरंजन परिसर भी शामिल है आदि से है।

13– ''संग्रहण'' से तात्पर्य नियम संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

14– ''स्रोत पर संग्रहण'' से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे घर-घर संग्रहण भी कहा जा सकता है।

15– ''सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र'' से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामित्वों और या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रुप से किया जाता है।

16– ''कम्पोस्ट खाद निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैवकीय अपघटन ऐरोबिक/अनऐरोबिक अन्तग्रस्थ है इसके अन्तर्गत क्रमिक खाद निर्माण भी है। जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वनस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केंचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

17– ''निर्माण व ध्वस्तिकरण सम्बन्धी अपशिष्ट'' से तात्पर्य निर्माण, पुननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोढ़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

18– अपशिष्ट छटाई केन्द्र से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शैड छतरी या ढांचे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छटाई करने के लिये प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

19– ''अपशिष्ट उत्पादक'' से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

20– ''निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट'' से तात्पर्य किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है जिसके भौतिक, रसायनिक और जैविक गुण, धर्म उसे सफाई सम्बन्धी गढढे के लिये उपयुक्त बनाते हैं।

21– ''कूड़ा-कचरा'' से तात्पर्य किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलवा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा धातु आदि के टुकड़े, कागज, कपड़ा, लकड़ी, खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गई कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

22– ''संग्रहण'' से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा वे बह कर आता है, रिस्ता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान पर उसके गिराने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

23– ''स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह'' से तात्पर्य आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है जो नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों जो उस क्षेत्र में सफाई बनाये रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुनः चक्रण के लिये उत्तरदायित्व लेने के लिये आगे आये हों।

प्रतिबन्ध यह है कि वह सहकारी समितियों के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हो और उनके उददेश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनः चक्रण भी सम्मिलित हों और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रुप में अनुमोदित किया गया हो।

24– ''मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर)'' से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खड़न्जा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राईवेट क्षेत्र, अस्थाई रुप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खादय सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरी वाला आदि सम्मिलित है।

25– ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसे वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी हैं जो ठोस या अर्धठोस रुप में हो।

26– ''गैर सरकारी संगठन या स्वयं सेवी संगठन'' से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है जो नगर में सिविल सोसाईटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है। सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

27– ''अध्यासी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी प्रयोजन के लिये किसी भूमि या भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रुप से उपयोग कर रहा है।

28– ''स्वामी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

29– ''प्रसंस्करण'' से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनः चक्रण या भूभरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिये प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

30– ''पुनःचक्रण'' से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथकक्रत गैर, जैवविक्रित ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री से परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

31– ''कचरा निस्तारण प्रभार'' से तात्पर्य नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह परिवहन और निस्तारण के लिये अधिसूचित या प्रभार से है इसमें विभिन्न प्रकार से लाईसेन्सी के लिये यथा प्रयोज्य व्यापार, कचरा प्रभार, सम्मिलित है।

32– ''प्रयोक्ता शूल्क'' से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

33– ''पृथक्करण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट कों विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशिक परिसंकट में जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंस सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

34– ''छटाई करना '' से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनः चक्रण योग्य विभिन्न संगठकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।

35– ''भण्डारण'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थाई संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोग वाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिसय दुर्गन्ध को रोका जा सकें।

36– ''परिवहन'' से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

37– ''विहित प्राधिकारी'' में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियामावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1916 या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय अधूसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिये क्रमशः समुदेशित है जबतक सन्दर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपर्युक्त दी गई परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वो, कर्तव्यों, कार्यों का विवरण प्रतिषेध साशित एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् हैं–

अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं के सामान्य कर्तव्यः–

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्टों को पृथकक्रत और 3 पृथक शाखाओं अर्थात बायोडीग्रेडिबुल (गीला कूड़ा) नॉन बायोडीग्रेडिबुल (सूखा कूड़ा) और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला, काला में भण्डारित करेगा और समय समय पर नगरपालिका परिषद द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहणकताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रेपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या नान बायोडिग्रेडिबल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्टों को अपने ही परिसर में पृथक रुप से भण्डारित करेगा और समय समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्टो को गली खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाश्यों में न फैंकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोगिता फीस का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये नगरपालिका परिषद् की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रुप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम 3 कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजनों का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्करण अपशिष्ट को नगरपालिका परिषद् द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा तथा इस सम्बन्ध में दी गई अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्य कलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्यय अपशिष्ट, प्रयोज्य (डिस्पोजल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रेपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्टों को नगरपालिका परिषद द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा अन्यथा समीपस्त सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगरपालिका परिषद की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनः चक्रणों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडीग्रेडिबल अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनःचक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडीग्रेडिबल अपशिष्ट का जहां तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संसााधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगरपालिका परिषद् द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी वृहद अपशिष्ट सृजक नगरपालिका परिषद की भागीदारी न इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनः चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनः चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। वृहद अपशिष्ट सृजग द्वारा बायोडीग्रेडिबल अपशिष्ट का परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमिथेनाईजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रुप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगरपालिका परिषद द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

3– प्रतिषेध–

(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जान बूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बन्ध नाली, गली, गढढा, सम्वातन पाईप और फिटिंगों में कोई कूड़ा कचरा या अपशिष्ट नहीं फैंकेगा या फैंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो–

(i) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुचाने की।

(ii) नाली एवं मल पदार्थ के निर्वाद प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की।

(iii) खतरनाक होने या जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होने की।

(2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रुप से उपबन्धित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थान पर स्नान नहीं करेगा, न ही थूकेगा, न पेशाब करेगा, न ही उसे विकृत करेगा, न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही पशुओं, वाहनों, बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करवायेगा।

(5) पालतू पशुओं के स्वामी उन्हें किसी भी दशा में खुला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गन्दगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावनायें बनी रहती हैं।

(6) कोई भी व्यक्ति घाटो, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाईडर, नाम पटों, साईनेज या मार्गदर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गन्दगी नहीं करेगा।

(7) काई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित प्लास्टिक एंव थर्माकोल आईटम्स या उत्पादन वितरण भण्डारण एव विक्रय नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या अनाधिकृत स्थलों पर जानवरों का गोबर, लीद, पचोनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा

(9) कोई भी व्यक्ति जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट आदि नहीं डालेगा। इस स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाई कर्मी द्वारा घर घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुए पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

4– नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण–

(1) घरेलू अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण–

(क) प्रत्येक सफाई कर्मियों को कन्टेनरयुक्त हाथ ठेला/रिक्शा तथा एक-एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाई कर्मी घण्टी या सीटी/साईरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा निर्धारित समयवाधि में यथा निर्धारित स्वरुप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई से संग्रहित पेड़ों के पत्तो एवं कूड़े को न जलायेगा और उसे नगरपालिका परिषद द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपेगा।

(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रुप में घर घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिये कन्टेनर युक्त वाहन/मोटर वाहनों की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक घर या बीट में हॉर्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा। स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेंगे।

(ग) किसी कारणवश उपनियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था सम्भव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण– होटल या रेस्टोरेन्ट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिये स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) शादीघरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रो के अपशिष्ट का संग्रहण-शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रो से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिये नगर निकाय द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण अभिकर्ताओं द्वारा भी कराई जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 में सूचीबद्ध है) का विर्निदिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा

जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिये अभिहित केन्द्रों को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिये सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियामावली 2016 के अनुसार आदेशित हो।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बन्ध मे लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिये यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेंगे एवं नगरपालिका परिषद द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा अन्यथा की स्थिति में उत्पादक नगर निकाय या उसके अभिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे जो उत्पादक से पृथक पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध करायेगां जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदउपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नान बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था नगरपालिका परिषद या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसे कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिये समय समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाईसेन्स प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्रों को दिया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स– वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बीनने वाले) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे सम्बन्धित सहकारी संस्थाओ को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर्स को पहचान पत्र दिया जायेगा। उन्हे अपने कार्यो का परीक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर घर से रिसाईक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं लाईसैन्स प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये नगर निकाय के लाईसैन्स प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिये नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची 2 में दी गई है)

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारम्भिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनाई जायेगी जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना सम्भव हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक पृथक किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथ ठेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले व नालियों की सफाई से निकली हुई शील्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

5– नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण–

(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी, अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा–

(1) जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)

(2) जैव अनाशित (नॉन बायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)

(3) जैव चिकित्सकीय (बायो मेडिकल) अपशिष्ट

(4) घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट

(2) पृथक्करण के लिये नगर निकाय द्वारा जन जागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों तथा नागरिक समूह को सम्मिलित किया जायेगा।

6– नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण–

(1) नगरीय निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस पास अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहां किसी प्रकार का प्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके। अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेष्ठकर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट, भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शैड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो, वहां ठोस को पृथक पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिये व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

7– सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र– अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथककृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबन्धित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डारण केन्द्रों में किया जायेगा। जहां से नगर निकाय द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी समय समय पर अधिसूचित करे।

8– ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था– नगर निकाय इस नियामावली के प्राविधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिये पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फैंकने के लिये डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र, अपशिष्ट छटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श ओर सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी। जिसमें संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूह पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी, मार्केट, काम्प्लेक्स के निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किये गये अपशिष्ट के संग्रहण पृथक्करण और भण्डारण के लिये अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फूलों, फलों, मांस कुकुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और इस हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रीक्रत कम्पोस्टिंग प्लान्ट या जैव मिथेनीकरण प्लान्ट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

9– सुविधा और सहायता उपलब्ध कराना:– अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद बनाने वाले विशेषज्ञों लाईसैन्स प्राप्त कबाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूड़ेदान विर्निमाताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा। जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नम्बर नगर निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेंगे। यह संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूह के माध्यम से इसके बारे में जागरुकता उत्पन्न की जायेगी।

10– कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार का लगाया जाना:– नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार **अनुसूची 04** में वर्णित दरों के अनुसार पर किया जायेगा। जो कि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकता है।

11– कम्पोस्ट खाद को बनाया जानाः– अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों मे लगाये गये पेड़ों और आस पास के पेड़ों मे डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निविर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

12– नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करणः–

(1) जहॉ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा मे खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व मे हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयॉ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों अभिकर्ताओं व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों, द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिये नमूनों का प्रर्दशन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेश पात्रों या कलशों मे इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनो को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये यथा-आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिये समुचित न हो डाला जायेगा।

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों मे पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन रीएक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छांट कर निकाला गया हो को; सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयुज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो-वेस्ट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(8) नगरपालिका परिषद खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माइनिंग व बायो-रेमिडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 20 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केन्द्रों में घरेलू परिसंकट मय अपशिष्ट जमा करने का समय अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

13– नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहनः– अधिशासी अधिकारी, या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहॉ नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिये एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूड़ा गाड़ी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन मे रखा गया कूड़ा ढॅका रहेगा।

14– स्रोत पर ही एकत्रीकरणः– भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाड़ीयों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाय।

15– सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्रः– अपवादिक मामलों मे जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो, रख रखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

16– अपशिष्ट छटाई केन्द्रः– पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते है, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप मे उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगें। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिर्स्टड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए ''हरे रंग'' के डिब्बे पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए ''नीले रंग'' एवं अन्य अपशिष्ट के लिए ''काले रंग'' के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छॅटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छॅटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छॅटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17– समय सारणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग– नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगा।

18– स्थानीय नागरिक समूहः– स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना और तद्परान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सके। सड़कों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिये निर्धारित इकाई दरों पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेगे। पंजीकरण प्रक्रिया, माडल उपविधियॉ तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनो हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पालिका परिषद की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

19– सफाई अभियानः– उन क्षेत्रों मे जिनको विशेष सफाई अभियान के लिये आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाय और जहॉ स्थानीय पार्षद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिये आगे आते हों सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

20— जागरुकता शिक्षा और प्रशिक्षणः— अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों, अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय स्कूलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिये एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमे नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

21— अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये जनसहभागिता को प्रोत्साहनः— जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिये नगर निकाय द्वारा प्रशंसा पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।

22— शिकायतों का निस्तारणः— नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाईन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडे ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/ सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

23— नागरिकों की सफाई टीमः— अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यो में विशेष रूचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्रही नामित कर सकता है। सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

24— रुची की अभिव्यक्तिः— किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो-मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों मे तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

25— अकास्मिक निरीक्षणः— अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने अपने वार्डो के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जॉच करेगें। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमे अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

26— नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्वः—

(1) मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्व—

(क) अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहॉ जहॉ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रो में उनके वार्डो के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने को अन्तर्गत) का विस्तार करेगें।

(ख) जहॉ आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) अपवादिक मामलो में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहॉ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहॉ से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वः—

चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढॅकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुॅचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निशिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेंरी वालों के दायित्वः–

प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग-अलग डिब्बे या कूड़ादान रखेगा। सम्यक रूप से पृथक किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाड़ी या निकाय चिन्हित सामुदायिक उपशिष्ट भण्डराण कूड़ादान तक पहुचानें का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्वः–

घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग अलग करके पहुॅचाया जाय। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहॉ ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथानिर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतू पशु स्वामी का दायित्वः–

किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतु पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्वः–

सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी, सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना-प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करे।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नही होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तब्यः–

(1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच, प्लाटिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(2) गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेगें।

(3) स्वास्थ्यकर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

(4) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

27– नियमों के उलन्घन के लिये शास्तिः–

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा उल्लघंन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

28– अपराधों का प्रशमनः–

इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यो के लिए अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निगम में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की गयी प्रशमन शुल्क की धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिन नगर निकाय कोश में जमा करना होगा व उसकी लिखित सूचना व सूची नगरपालिका परिषद् कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाए अपने पास रखेगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमनः–

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची-1
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि-2020
प्रशमन शुल्क तालिका ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	तीन वर्ष की अवधि में पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी–			
	1– अपशिष्ट फैलाना/ फेकना।	200	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना	500
	2– थूकना।	100	,,	250
	3– मूत्र विर्सजन करना।	100	,,	250
	4– जानवरो को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना	500	,,	1,500
	5– वाहनो की धुलाई	500	,,	1,500
	6– कपड़े धोना	500	,,	1,500
	7– सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब, या कुण्ड में गन्दगी फैलाना	500	,,	1,500

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
2	मार्ग, पार्क, घाटों, आदि सार्वजनिक स्थल, की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	500.00	उपरोक्तानुसार	1,000.00
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर।	500.00	उपरोक्तानुसार	1,000.00
4	पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर ।	500.00	उपरोक्तानुसार	1,000.00
5	नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवेरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर–		प्रशमन शुल्क का पॉच गुना (उपरोक्तानुसार)	
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000.00		5,000.00
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000.00		10,000.00
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000.00		20,000.00
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।	500.00	,, ,,	शून्य
7	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।	500.00	,, ,,	शून्य
8	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।	500.00	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	500.00
9	कानून का उल्लघंन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण।	1,000.00	,, ,,	,, ,,
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना–			
	(क) डबलिंग यूनिट/ भवन/ फ्लैट	500.00	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	शून्य
	(ख) दुकान/ बूथ	400.00		शून्य
	(ग) माल/ मल्टीप्लेक्स/ शापिंग शापिंग आर केड/ होटल	5,000.00		शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00		शून्य

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
11	प्रतिबन्धित पालीथीन आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1,000.00	,, ,,	शून्य
12	थर्मोकोल आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	1,000.00	,, ,,	शून्य
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना–			
	(क) व्यक्तिगत भवन	200.00	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	,, ,,
	(ख) दुकान / बूथ	500.00		,, ,,
	(ग) माल / मल्टीप्लेक्स / शापिंग शापिंग आर केड / होटल / मैरेज पैलेस	5,000.00		,, ,,
	(घ) शैक्षणिक / धार्मिक / अन्य संस्थान	2,000.00		
	(ड.) औद्योगिक भूखण्ड / यूनिट	5,000.00		
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000.00		
14	वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिये आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना	5,000.00 प्रतिमाह	10,000.00 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2,000.00	4,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5,000.00	10,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट कों यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	————
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	————
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने / अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	500.00 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पॉच गुना उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	500.00	————
21	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छँटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	1,000.00
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	500.00	1,000.00	1,000.00
23	खुले में शौच करने पर।	500.00	1,000.00	1,000.00
24	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/ पार्क में फेकना।	500.00	1,000.00	1,000.00
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	1,000.00	1,000.00
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	100.00	200.00	————
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।	500.00	1,000.00	1,000.00
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिधिकृत रूप से पानी बहाने पर।	1,000.00	2,000.00	2,000.00
29	सार्वजनिक सम्मेलन/ समारोह के पश्चात 24 घण्टें के भीतर सफाई न करने के लिए।	5,000.00	10,000.00	सफाई करने पर आने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना

नोट–

1– उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षो के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

2– अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/ यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3– यदि अधिकृत अधिकारी/ एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।

अनुसूची-दो

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट (उदाहरणार्थ स्वरूप)
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल है।	समाचार पत्र
मांस और हड्डियॉ	कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें
उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।	शीशा
पशुओं का कूड़ा करकट	धातु के पदार्थ और तार
गोबर	प्लास्टिक
सफाई के बाद घर की गंदगी	फटे कपड़े
नारियल के छिलके	चमड़ा
राख	रेक्सीन
अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	रबर
	लकड़ी/ फर्नीचर
	पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के।

अनुसूची तीन

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट– जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यो के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1– धारदार अपशिष्ट–

सुईयॉ, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2– बेकार दवाइयॉ और साइटोटाक्सिक औषधियॉ–

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट

3– ठोस अपशिष्ट–

रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची–4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिये प्रस्तावित दरें

आवासीय	विवरण	दर प्रति माह
1	2	3
		रुपये–
श्रेणी क	ग्रहकर से छूट वाले परिवार	30.00 प्रति माह
श्रेणी ख	200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई	80.00 प्रति माह
श्रेणी ग	200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली ईकाई	100.00 प्रति माह
श्रेणी घ	हाउसिंग सोसाईटी, अपर्टमेन्ट प्रति फ्लैट	40.00 प्रति माह
श्रेणी ड	यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	30.00 प्रति माह
	अनावासीय/व्यवसायिक	
श्रेणी क	100 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	50.00 प्रति माह
श्रेणी ख	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान	100.00 प्रति माह
श्रीणी ग	200 वर्ग फीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	150.00 प्रति माह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्राओं तक	150.00 प्रति माह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्राओं तक	500.00 प्रति माह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्राओं तक	1,000.00 प्रति माह
श्रेणी ड़	इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज एवं प्राईवेट स्नातक/स्नाकोत्तर कालेज, सेन्टर सोपिंग कम आफिस काम्प्लैक्स, प्राईवेट शिक्षण संस्थायें, प्राईवेट हास्टल	1,000.00 प्रति माह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय, एल0आई0सी0 कार्यालय, आदि एवं गैस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरेन्ट	500.00 प्रति माह
श्रेणी छ	मैरिज होल, मोल्स, वैंकट हॉल, क्लब, सिनेमा हॉल, होटल 10 कमरों से अधिक	1,000.00 प्रति माह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल	200.00 प्रति माह
श्रेणी झ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बैड तक)	500.00 प्रति माह
श्रेणी ञ	प्राईवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बैड से अधिक)	1,000.00 प्रति माह
श्रेणी ट	पैथोलॉजी लैब	200.00 प्रति माह
श्रेणी ठ	क्लीनिक	100.00 प्रति माह

1	2	3
		रुपये–
श्रेणी ड़	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	100.00 प्रति माह
श्रेणी ढ़	दवाईयों की दुकान	50.00 प्रति माह
श्रेणी ण	रिटेल चेन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल मेट्रो बाजार आदि)	1,000.00 प्रति माह
श्रेणी त	रोड़ साईड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	150.00 प्रति माह
श्रेणी थ	रोड़ साईड फास्ट फूड कार्नर, चाय/जूस की दुकान व चाट हाउस आदि	300.00 प्रति माह
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयर हाउस 1000 वर्ग फीट	250.00 प्रति माह
श्रेणी ध	गोदाम एवं वेयर हाउस 1000 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक	500.00 प्रति माह
श्रेणी न	शराब की दुकाने	500.00 प्रति माह
श्रेणी प	हॉट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार	25.00 प्रतिदिन प्रति स्टाल
श्रेणी फ	शोरुम, सर्विस सेन्टर व छोटे गेराज	200.00 प्रति माह
श्रेणी ब	प्रदर्शन, ग्राउन्ड, मेला	200.00 रु0 प्रतिदिन
श्रेणी भ	लघु उद्योग (स्माल इन्डस्ट्री) 1000 वर्ग फीट तक	150.00 प्रति माह
श्रेणी म	डद्योग (इन्डस्ट्री) 1000 वर्ग फीट से अधिक	250.00 रु प्रति माह
श्रेणी य	प्रिन्टिंग प्रेस	100.00 प्रति माह
श्रेणी र	पेट्रोल पम्प	200.00 प्रति माह
श्रेणी ल	ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा– भैंस, गाय, भैड़, बकरी, सुअर आदि) पाल रखे हो जिनका व्यवसायिक उपयोग न किया जाता हो	20.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा

समझौता

यदि कोई नागरिक नियमों के विरूद्व नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022 का उल्लंधन करने पर प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी दोषी नागरिक के विरूद्व कानूनी कार्यवाही जारी करता है उस समय यदि दोषी नागरिक सुलेहनामा (समझौता) के लिये प्रार्थना-पत्र दें, तो अधिशासी अधिकारी उचित मूल्य लेकर समझौता कर सकतें है। जो अधिकतम 1,000.00 रुपये तक रखा जा सकता है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद नूरपुर जनपद-बिजनौर यह प्राविधान करती है कि इस उपविधि का उल्लंघन करने व संबंधी व्यक्तियों पर दोष सिद्व होने पर न्यायालय द्वारा 1,000.00 रुपये तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है। प्रथम दोष सिद्व होने पर यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन जारी रखता है तो प्रतिमाह के लिए अपराध प्रमाणित हो 25 रु0 अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
नूरपुर (बिजनौर)।

कार्यालय नगर पालिका परिषद अनूपशहर, बुलन्दशहर

उपविधि

24 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 419/न0पा0प0अ0/2024-25—नगर पालिका परिषद अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2) सूची (1) के अन्तर्गत अपनी सीमा अन्तर्गत भवनों के निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2023 में सर्वसम्मत्ति से पारित प्रस्ताव सं0 21 के अनुपालन में "नगर पालिका परिषद अनूपशहर द्वारा नगरीय भवन निर्माण एवं भवन मानचित्र उपविधि-2023'' उपविधि तैयार की गयी है। इस उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के प्रस्ताव सं0 06 दिनांक 08 जनवरी, 2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा आम जनता से 30 दिवस में आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाने हेतु नगरीय भवन निर्माण एवं भवन मानचित्र उपविधि-2023 उपविधि को अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 07 फरवरी, 2024 व हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 07 फरवरी 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी। कार्यालय नगर पालिका परिषद अनूपशहर में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने हेतु नगर पालिका परिषद अनूपशहर की बोर्ड बैठक दिनांक 12 मार्च, 2024 में प्रस्ताव सं0 11 रखा गया। बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव सं0 11 दिनांक 12 मार्च, 2024 के द्वारा आपत्तिकर्ताओं के आपत्ति प्रार्थना पत्रों को बोर्ड के समक्ष रखा गया। आपत्तिकर्ताओं के आपत्ति प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु बोर्ड ने सर्वसम्मत्ति से आपसी विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि भवन निर्माण एवं भवन मानचित्र उपविधि 2023 में निर्धारित दरें/शुल्क अधिक होने के कारण भवन निर्माण एवं भवन मानचित्र उपविधि 2023 में निर्धारित दरों/शुल्क में संशोधन किया जाना स्वीकार किया गया है। यह उपविधि/नियमावली पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनायी गयी है। बोर्ड के प्रस्ताव सं0 11 दिनांक 12 मार्च, 2024 के अनुपालन में इस उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"नगर पालिका परिषद अनूपशहर, नगरीय भवन निर्माण एवं भवन मानचित्र भवन उपविधि-2023"

1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

1—इस उपविधि का नाम नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर की "नगरीय भवन निर्माण एवं भवन मानचित्र उपविधि-2023" कहलायेगी।

2—यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी एवं किसी भी प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार पत्र में पर्याप्त नोटिस/सूचना देकर प्रकाशित किये जायेगें।

2— लागू होना—

1—यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में गजट प्रकाशन होने की दिनांक से नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर में भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी लागू होगी एवं नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर की सीमा के प्रत्येक स्वामित्व वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर लागू होगी।

2—संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 121-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तो और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाए, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियंत्रित तथा विनियमित कर सकेगी।

3—उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि बोर्ड संशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपविधि में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

3–परिभाषा–

इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत है–

परिभाषा– विषय या प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

1–"उपविधि" का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा बनाई गई उपविधि से है।

2–"अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 से है।

3–"नगर पालिका परिषद" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद अनूपशहर से है।

4–"अधिसूचना" से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

5–"विहित अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने गजट मे अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।

6–"नगरपालिका परिषद क्षेत्र" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।

7–"सार्वजनिक क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसी जगह से है, जो किसी की निजी सम्पत्ति न हो और आम जनता के उपयोग, उपभोग के लिए खुला हो। चाहे ऐसी जगह नगर पालिका परिषद मे निहित हो अथवा नही।

8–"संक्रमित क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो नगर पालिका परिषद के अधिसूचित क्षेत्र में नही आते हैं लेकिन वर्तमान में निकाय के आबादी क्षेत्र में प्रसार होने के कारण ऐसे क्षेत्रों मे नागरिको को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, नाला-नाली आदि का निर्माण, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था नगर पालिका परिषद अनूपशहर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, पर भी यह उपविधियां समझी जायेगी।

9–"अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद" से तात्पर्य निकाय अनूपशहर की जनता द्वारा चुने गये अध्यक्ष से है।

10–"अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद अनूपशहर में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

11–"प्रभारी अधिकारी" से तात्पर्य निकाय के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से है।

12–"प्रशासक" से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के लिए प्रशासक के पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी से है।

13–"कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/सम्पत्ति लिपिक/सफाई एवं खाद्य निरीक्षक" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद अनूपशहर में इन पदों पर कार्यरत कर-समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/सम्पत्ति लिपिक/सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से है।

14–अन्य बातों के रहते हुए अगर किसी शब्द की परिभाषा उपविधियों मे प्रसारित नही है, तब उसका अर्थ नगर पालिका अधिनियम मे दी गई परिभाषा से लिया जायेगा।

15–"नगर पालिका परिषद सेवक" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पालिका परिषद अनूपशहर से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो।

16–"उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 मे दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनदेशो के प्रावधान इस नियमावली पर प्रभावी होगे।

17–इस उपनियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेगें।

18–"व्यवसायिक निर्माण" से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार, उद्योग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हो।

19–"भूमि/भवन" से तात्पर्य नगर पालिका की सीमा में/संक्रमित क्षेत्र में स्थित भूमि/भवन से है।

4– नियम एवं शर्ते–

1–यह कि नगर पालिका परिषद अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका से भवन के मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त ही भवन निर्माण करेगा। यह उपविधि नगर पालिका के संक्रमित क्षेत्र में भी लागू रहेगी।

2–प्रार्थी को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि 10.00 रु0 के कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर पर होगा।

3–इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी को दो स्वीकृति हेतु मानचित्र मय सीमा के प्रस्तुत करने होगे। इन मानचित्रों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा वह यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

4–प्रार्थी इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहाँ निर्माण कार्य करना चाहता है उसकी, अपनी है उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। मानचित्र में भू-खण्ड की चौहद्दी के साथ-साथ भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शानें अनिवार्य होगें।

5–प्रार्थना पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए वह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेर बदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नव निर्माण करना चाहता है।

6–200 मीटर से अधिक क्षेत्रफल मे निर्मित किये जाने वाले भवन के लिए जल संचयन प्रणाली/वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली/वाटर का होना अनिवार्य होगा तथा 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भाग कंकरीट रहित कच्चा छोड़ना होगा।

7–भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक उँचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिल भवन भूकम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।

8–नगर पालिका परिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पालिका परिषद अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के द्वारा लाईसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।

9–मानचित्रकार का लाईसेन्स प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पूर्व माह फरवरी या मार्च मे आगामी वर्ष के लिए की स्वीकृति से अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

10–मानचित्रकार के लाईसेन्स स्वीकृति होने के नियम व शर्ते नगर पालिका परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

11–मानचित्रकार का लाईसेन्स शुल्क मात्र पाँच हजार रुपये वार्षिक होगा।

12–जिस नक्शा नवीस (ड्राफ्ट मैन) से नक्शा बनवायेगा उसी से उस भवन का अनुमानित लागत का आगणन भी प्रस्तुत करेगा।

13–निकाय बोर्ड द्वारा दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र बनाने के शुल्क एवं मानचित्रकार के लाईसेन्स शुल्क में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन इन शुल्कों मे किसी भी स्थिति में कटौती/कमी नही की जा सकती है।

14–व्यावसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

15–नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का विकास नगर पालिका की स्वीकृति के बिना नही होगा, तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिए कुल भूमि का 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा जो निम्नलिखित है–

क–कॉलोनी के सड़क से कम से कम 5 मीटर चौड़ी होगी तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 6 मीटर चौड़ी होगी।

ख–कॉलोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कॉलोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

ग–कॉलोनी की सड़क पक्की करने की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

घ–कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

ड़–कॉलोनी मे 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना होगा ताकि सम्पूर्ण क्षेत्रफल के केवल 65 प्रतिशत भाग पर ही भवनों का निर्माण किया जा सकेगा।

च–यथासम्भव सड़के समकोण पर मिलाई जायेगी।

छ–कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए पाईप लाईन व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

ज–कॉलोनी स्वीकृत कराने वाले को कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर पालिका परिषद अनूपशहर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलानी नगर पालिका परिषद अनूपशहर प्रबंध में हो जायेगी। और कॉलोनी से गृहकर/जलकर/जलमूल्य एवं अन्य कर प्राप्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद अनूपशहर का होगा, तथा कॉलोनी में विभिन्न सुविधाओं एवं उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद अनूपशहर की होगी।

16–किसी भी मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं शपथ-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

17–नगर पालिका परिषद अनूपशहर क्षेत्र में संक्रमित क्षेत्र में स्थित भूखण्ड/भवन जिनके बैनामे ग्रामीण क्षेत्र में हुए है उन्हे मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ अवशेष स्टाम्प शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

18–मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/सार्वजनिक पाई जाती है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

19–जिन भूमि/भवनों का नगर पालिका अभिलेखों में क्रेता द्वारा हस्तान्तरण के पश्चात् नामान्तरण नही कराया गया है मानचित्र स्वीकृति के समय नामान्तरण कराना अनिवार्य होगा। बैनामा की मालियत का 01 प्रतिशत होगा। अगर किसी सम्पत्ति का नामान्तरण सम्पत्ति के हस्तान्तरण से एक वर्ष पश्चात् किया जा रहा है तो प्रत्येक वर्ष के लिये 500.00 रुपये विलम्ब शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि सम्पत्ति का नामान्तरण के समय यह पाया जाता है कि विक्रेता ने सम्पत्ति बेचने से पूर्व अपना नामान्तरण नगर पालिका अभिलेखों में नही कराया था तो प्रत्येक हस्तानान्तरण पर 5,000.00 रुपये आरोपित नामान्तरण शुल्क 5,000.00 रुपये जमा करना अनिवार्य होगा।

20–भवन निर्माण के सम्बन्ध में नगर पालिका अधिनियम मे दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेश इस उपविधि पर प्रभावी होंगे।

21–भवन निर्माण मानचित्र के उपरान्त भवन निर्माण करते समय नगर पालिका परिषद कार्यालय द्वारा समय-समय पर उसका निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा और निरीक्षण के उपरान्त नगर पालिका परिषद कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

22–बोर्ड अपने दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति से अथवा अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की स्वीकृति से उपविधि के किसी भी धारा में परिवर्तन कर सकता है या कोई नई धारा जोड़ सकता है जो उपनियमावली पर प्रभावी समझी जायेगी। लेकिन उपविधि मे वर्णित किसी भी शुल्क में कोई कमी नही की जा सकती है।

23–कोई भी भवन निर्माण सरकारी सडक से या नाली के बाहरी किनारे से 3 फिट भूमि को छोडकर किया जायेगा तथा (तंग) गलियों में 2 फिट भूमि छोडकर निर्माण किया जायेगा। सरकारी सड़क पर सीढी/रैम्प बनाने की अनुमति नही दी जायेगी।

24–ऐसे समस्त भवनो जिनके लिए अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

25–दो सौ (200) वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवन निर्माण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगा।

5– भवन निर्माण–

क–इस प्रकार का कोई जंगला या खिड़की न लगायी जायेगी, जिससे कि बराबर में रहने वाले को परेशानी हो।

ख–छत का पानी नीचे तक पाइप द्वारा उतारा जायेगा तथा उसकी नाली सरकारी न होने पर स्वयं अपने व्यय से लगानी होगी यदि वहाँ पर सरकारी नाली नही है तो प्रार्थी को उसके लिये एक सोक पिट अपनी ही भूमि पर निर्माण करवाना होगा।

ग–दो मंजिले पर इस प्रकार का कोई शौचालय नही बनवाया जायेगा जिसका मलमूत्र पाईप के द्वारा मकान से बाहर होकर नीचे उतरता हो या सडक पर गन्दगी फैलाता हो।

घ–सरकारी नाली या सडक के ऊपर जो प्रोजेक्शन किया जायेगा उस पर अन्य किसी प्रकार का निर्माण नही किया जायेगा तथा नीचे का लेन्टर नाली के किनारे तक और ऊपर का नीचे के प्रोजेक्शन से एक फिट से अधिक नही निकाला जायेगा। सडक पर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन नही किया जायेगा।

ड़–भवन का पतनाला सरकारी सड़क पर या गली में किसी भी हालत में नही डाला जायेगा जब तक कि उसके पानी की सरकारी नाली पर पहुँचाने की पूर्ण व्यवस्था कर दी गयी हो।

6– स्वीकृति की विधि–

1–जब प्रार्थी मय नक्शों के प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, तब सर्वप्रथम उसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर कर विभाग की आख्या ली जायेगी जिसमें कर प्रभारी/पटल प्रभारी इस प्रकार की आख्या देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे अभिलेखों में इन्द्राज है अथवा नहीं तथा इस मकान पर नगर पालिका का कोई किसी प्रकार का कर आदि अवशेष नही है और सम्पत्ति का नामान्तरण हो गया है अथवा नही हुआ है।

2–कार्यालय की आख्या के पश्चात यह प्रार्थना पत्र मय नक्शे अधिशासी अधिकारी को जाँच हेतु भेज दिया जायेगा जो कि मौके पर स्वंय जाकर अथवा इस हेतु किसी कर्मचारी को नामित करेगा जो भूमि तथा प्लाट का मिलान करेंगे और अपनी रिपोर्ट सही पाये जाने पर इस प्रकार देंगे कि नक्शे के मुताबिक नियामानुसार निर्माण उचित है। स्वास्थ्य के लिहाज से गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और इस निर्माण की आज्ञा देने में नगर पालिका की संपत्ति की किसी प्रकार की हानि नही है। आवश्यकता महसूस होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग/राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार अनूपशहर से भी भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3–इसके पश्चात प्रार्थी को यह अवगत कराया जायेगा कि यह नियमानुसार निर्माण फीस जमा करवा दे। निर्माण फीस जमा हो जाने के पश्चात अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के बाद अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के

बाद एक स्वीकृति पत्र/आज्ञा पत्र अधिशासी अधिकारी के माध्यम से प्रार्थी को भेज दिया जायेगा। इस आज्ञा के पश्चात ही प्रार्थी निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। निर्माण कार्य आरम्भ कार्य करने से 24 घण्टे पूर्व नगर पालिका कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

4–यह आज्ञा केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नही होता है तो प्रार्थी कारण स्पष्ट करते हुए पुनः नगर पालिका में अवधि बढवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्ततु करेगा तथा प्रार्थना पत्र के साथ स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व फीस जमा की उसका ¼ (25%) हिस्सा पुनः फीस के रूप में जमा करनी होगी। यह अवधि छः माह से अधिक नही बढ़ाई जायेगी। इस 5 माह की अवधि बढाने के लिए अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा, यदि विशेष परिस्थितियों में प्रार्थी इसके पश्चात भी समय चाहता है तो यह प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

5–जैसे ही भवन का निर्माण कार्य समाप्त होगा वैसे ही प्रार्थी नगर पालिका परिषद अनूपशहर को अवगत करायेगा।

7– भवन निर्माण के लिए निर्धारित/स्वीकृत दरें–

क्र0 सं0	भवन	क्षेत्रफल	भूमिगत तल शुल्क प्रति वर्ग मीटर	भू-तल शुल्क प्रति वर्ग मीटर	अतिरिक्त तल शुल्क प्रति वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
			रुपये–	रुपये–	रुपये–
1	व्यवसायिक भवन	40 वर्गमीटर तक	200.00	200.00	200.00
2	व्यवसायिक भवन	40 वर्गमीटर के ऊपर	250.00	250.00	250.00
3	गोदाम	40 वर्गमीटर तक	200.00	200.00	200.00
4	गोदाम	40 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल	250.00	250.00	250.00
5	होटल का विश्रामगृह वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना	40 वर्गमीटर तक	200.00	200.00	200.00
6	होटल का विश्रामगृह वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना	40 वर्गमीटर के ऊपर	250.00	250.00	250.00
7	रिहायसी भवन	100 वर्ग मीटर तक	20.00	20.00	20.00
8	रिहायसी भवन	100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	40.00	40.00	40.00
9	रिहायसी भवन	200 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक	70.00	70.00	70.00
10	रिहायसी भवन	500 वर्गमीटर के ऊपर	200.00	200.00	200.00

यदि कोई दुकान रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसकी फीस उपरोक्त दरों की ½ (50 प्रतिशत) होगी। मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, धर्मशाला, अस्पताल, सरकारी स्कूल, वाचनालय या अन्य कोई पूजा गृह जिसमें किराये आदि के लिए उक्त दरें ¼ (25 प्रतिशत) होंगी। खाली प्लाट की यदि बाउण्ड्री ही बनानी है तो 300 वर्गमीटर तक 2,500.00 रुपये और उससे अधिक क्षेत्रफल के लिए 5,000.00 रुपये शुल्क देय होगा।

1–निर्माण का प्रार्थना पत्र आने की तिथि से 90 दिन के भीतर मानचित्र स्वीकृत होना अनिवार्य होगा, यदि कोई आपत्ति है तो प्रार्थी को अवगत कराया जायेगा, अन्यथा प्रार्थी गुजरने मियाद 90 दिन अधिशासी अधिकारी के समक्ष एक सूचना पत्र प्रस्तुत करेगा जिसका समय 7 दिन का होगा। अधिशासी अधिकारी भवन मानचित्र का निस्तारण निर्धारित समय में करायेंगे। मानचित्र स्वीकृत करें अथवा कारण बताकर निरस्त करें। मानचित्र की पत्रावली अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जायेगी। अध्यक्ष का आदेश/निर्णय अन्तिम होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। प्रार्थी यदि नक्शा स्वीकृति हो जाने के बाद कोई परिवर्तन करता है तो पुनः दूसरा नक्शा तथा पहला स्वीकृत नक्शा जिस पर आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित फीस का ¼ (25%) भाग जमा करायेगा।

2–स्वीकृति देने के बाद यदि बोर्ड/अध्यक्ष जनहित में उक्त स्वीकृति को रद्द करना उचित समझता है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुए भू-स्वामी को नोटिस दे और नोटिस देकर आज्ञा को रद्द कर सकता है।

3–प्रारम्भ में जिसमें केवल प्लास्टर आदि या छत आदि ढकनी के लिए 1,000.00 रु0 फीस तथा सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देगा यदि प्रार्थी पुराना बुनियादो पर भी क्षतिग्रस्त होने के कारण छत बदलना चाहता है तो 1,000.00 रु0 फीस जमा करवायेगा, यदि नीचे की मंजिल बनी है और प्रार्थी दूसरी मंजिल बनावाना चाहता है तो उसके लिए उपविधियों में वर्णित पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी।

4–सड़क पर निर्माण मलवा डालने के लिये प्रत्येक 50 वर्गमीटर पर 30 दिन के लिए 500.00 रु0 और इसके अधिक 30 दिन के लिए 1,000.00 रु0 शुल्क देय होगा इसके लिए नियमानुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, कार्य समाप्त कर सड़क पर पड़ा मैटेरियल साफ करायेगा और गड्ढे आदि भरवायेगा, यदि यातायात में रुकावट होती है तो अधिशासी अधिकारी को यह पूरा अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये दी गयी आज्ञा को रदद् कर दे। जमा शुद्ध धनराशि वापस न की जायेगी

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद अनूपशहर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी उपविधि के प्रस्तर के उल्लघंन करने पर दण्ड दिया जायेगा जो 1,000.00 रु0 तक हो सकता है। यदि उल्लघंन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है। 25.00 रु0 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान न करने पर कारावास से दण्डित हो सकता है, जो 06 मास तक हो सकता है।

ब्रजेश गोयल,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद अनूपशहर,
जनपद बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत, परतावल, महराजगंज

27 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 348/न0पं0 परतावल/बायलॉज/2023-24–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, परतावल द्वारा गृहकर (शुल्क) नियमावली, 2023 उपविधि नगर पंचायत, परतावल, जनपद महराजगंज द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत गृहकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2023 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियामवली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समुह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत, परतावल कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तदक्रम में नगर पंचायत परतावल द्वारा बोर्ड दिनांक 27.10.2023 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला व दैनिक जागरण दिनांक 16.11.2023 को प्रकाशित करा कर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव नहीं प्राप्त हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 15.02.2024 को प्रस्ताव संख्या 05(1) के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

गृहकर उपविधि नियमवाली, 2023

नगर पंचायत परतावल, जनपद-महराजगंज द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्दर स्थित सभी इमारतों अथवा जमीन या दोनों पर वार्षिक किराये के मूल्य पर भवन तथा भूमि पर निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत कर लगाया जायेगा ।

1–रेलवे स्टेशनों, छात्रावासों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों, कारखानों, धर्मशालाओं, शरणालयों और ऐसे ही अन्य भवनों की दशा में वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है, भवन निर्माण करने की वर्तमान अनुमानित लागत और उसके अनुलग्न भूमि के अनुमानित लागत में जोड़कर प्राप्त हुई धनराशि का 5 प्रतिशत माना जायेगा ।

2–भवन के अन्तर्गत यदि कोई आहाता हो तो वह भी सम्मलिति होगा ।

3–नगर पंचायत परतावल, द्वारा पंचवर्षीय गृहकर निर्धारित किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष नव निर्मित भवनों पर गृहकर आरोपित करने के लिये नियमानुसार अलग से कार्यवाही की जायेगी उसके लिये नियमित रूप से सर्वे तथा कर निर्धारण का कार्य किया जायेगा ।

4–गृहकर का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा किया जायेगा ।

5–(क) 15 दिसम्बर या उसके पहले नगरपालिक अपने क्षेत्र के भीतर स्थित सभी इमारतों की सूची तैयार करेगी जिसके सम्बन्ध में यह मालूम हो कि उन पर "कर" लागाया जा सकता है तब नगर पंचायत में दर्ज की गयी प्रत्येक इमारत की मालकियत पर और किसी ऐसी दुसरी प्रत्येक इमारत की मालकियत पर जो उसमें दर्ज न हो जिसके सम्बन्ध में यह मालूम हो कि उस पर "कर" लगाया जा सकता है, विचार करेगी और "कर" की यह कर नियत करेगी जो ऐसी इमारत के स्वामी पर निर्धारित की जायेगी। प्रत्येक इमारत का नाम उसके स्वामी का नाम, वार्षिक मालकियत जो इस इमारत की निर्धारित की गई हो और "कर" की रकम जो उनके स्वामी पर निर्धारित की गयी हो निर्धारित सूची में दर्ज की जायेगी जो इन नियमों से संलग्न प्रपत्र के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या उससे पहले पूरी की जायेगी ।

(ख) यह "कर" दो बराबर किश्तों में अदा किया जायेगा और उनकी आदायगी दिनांक 15 मई और 15 नवम्बर होगा किन्तु इसमें प्रतिबन्ध है । यदि कोई व्यक्ति चाहे तो किश्त उसकी अदायगी के नियत समय से पहले जमा कर सकता है ।

(ग) यदि यह टैक्स उस तिथि को जिसको टैक्स देना है उस तारीख को जमा नहीं की गई तो यह बकाया मानी जायेगी ।

6–(1) कोई व्यक्ति किसी भी समय अपना नाम किसी भवन या भूमि या दोनों जैसी कि स्थिति हो "कर" निर्धारण सूची में स्वामी के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है और जब तक कि ऐसे आवेदन-पत्र को स्वीकार करने के लिये पर्याप्त कारण न हो ऐसा अस्वीकृत का विवरण लिखित में होगा और अस्वीकृत नहीं किया गया तो उसका नाम कर की सूची में दर्ज कर लिया जायेगा ।

(2) जब यह संशय उस्थित हो कि किसी भवन या भूमि के स्वामी के स्थान पर किस व्यक्ति का नाम लिखा जाय तो इसका निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा होगा उनका निर्णय जब तक की कोई सक्षम न्यायालय रद्द न कर दे, प्रभावी होगा ।

7(1) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर यह कर निर्धारित हो चुका या जिस पर यह कर लगने वाला हो तो अपने अधिकार हस्तान्तरित करने वाला व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसे हस्तान्तरित किये जायें । हस्तानान्तरण के विलेख इन्स्ट्रमेन्ट आफ ट्रान्सफर के निष्पादन के या यदि उसकी रजिस्ट्री करायी जाये, तो रजिस्ट्री होने के या विलेख निष्पादित किया गया हो, तो अधिकारी के सुपुर्द किये जाने के तीन महीने के अन्दर ऐसे हस्तान्तरण का लिखित नोटिस अधिशासी अधिकारी को देना होगा ।

(2) यदि किसी भवन या भूमि का स्वामी जिस पर यह कर निर्धारित किया गया हो या जिसे यह कर अदा करना पड़ता हो मर जाये तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा उसके सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसी प्रकार अपने उत्तराधिकार प्राप्त करने के तीन माह के भीतर ऐसे अधिकारो का उत्तराधिकारी होने की सूचना नगर पंचायत कार्यालय में देना होगा ।

8 (1) पूर्ववर्ती अन्तिम नियम के अधीन दिये जाने वाले नोटिस में उक्त नियम में उल्लिखित समरूप विवरण स्पष्ट रूप से और ठीक–ठीक दिये जायेंगे ।

(2) कोई ऐसा हस्तान्तरित "ट्रान्सफरी" यदि अधिशासी अधिकारी के द्वारा उसमें ऐसी मांग की जाय, हस्तान्तरण के विलेख इन्स्ट्रमेन्ट आफ ट्रांन्सफर की यदि कोई हो या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट-1977 के अधीन प्राप्त की गई उसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करेगा ।

9 (1) वह व्यक्ति जिसके उत्तराधिकारी के नोटिस को उत्तरदायित्व उपरोक्त नियमों के अनुसार जायदाद का पिछला बकाया "कर" दाखिल–खारीज को स्वीकृति हो जाने के पूर्व कुल जमा कर देगा ।

(2) अधिकार पाने वाले व्यक्ति प्रत्येक जायदाद के दाखिल खारिज के लिए रुपया 200.00 (दो सौ) शुल्क कार्यालय में जमा करेगा ।

10–दाखिल–खारिज के प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे किन्तु शर्त यह है कि वह किसी भी मामले को बोर्ड के निर्णय के लिये रख सकता है ।

11–यह "कर" ऐक्ट के अनुसार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी की देख-रेख में वसूल किया जायेगा ।

12–माफी या वापसी प्राप्ति के लिये इमारत का स्वामी जो अलग-अलग हिस्सों में इमारत हो जाने पर लागाये जाने के समय एसेस्मेंट लिस्ट निर्धारण सूची के तमाम इमारत वार्षिक मूल्य के अतिरिक्त उसके अलग-अलग भागों में विस्तार से लिखे जाने के लिये नगर पंचायत से प्रार्थना कर सकता है ।

13–भवन तथा भूमि कर की वसूली समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अनुसार की जायेगी ।

14–यदि किसी सम्पत्ति पर किसी वर्ष 31 जनवरी तक कर की धनराशि शेष रह जायेगी तो उस वर्ष की कर की धनरशि पर 10 प्रतिशत की धनराशि बकाया शुल्क के रूप में वसूली की जायेगी ।

15–नगर पंचायत परतावल, को भवन "कर" लगाने के लिये स्वामी के पास भवन जिस पर नगर पंचायत परतावल "कर" लगाने में सम्बन्धित अधिकार रखती है पर्याप्त है । चाहे वह भवन भूमि अथवा तद्सम्बन्धी वस्तु किराये से मुक्त क्यों न हो ।

"कर" का विवरण

1–नगर पंचायत परतावल, गृहकर, भवन या भूमि जिसका वार्षिक मूल्य 1200.00 (बारह सौ रूपया) तक हो 5 प्रतिशत तथा 1200.00 (बारह सौ रूपया) से अधिक वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जायेगा ।

2–यह कर जायदाद के स्वामी पर लागाया जायेगा ।

3–यह कर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आंका जायेगा और "कर" निर्धारण के वर्ष की सूची जो इन नियमों से संलंग्न प्रपत्र के अनुसार होगी और 30 जनवरी को या उसके पूर्व पूरी कर दी जायेगी ।

4–"कर" निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर ऐसे स्थानों की सूचना दी जायेगी जहां पर सूचियां देखी जा सकती हैं और भी सम्बन्धित पंक्तियों की बजरिये व्यापक प्रचार तथा स्थानीय अखबारों के माध्यम से सूचित किया जायेगा । इस घोषणा के तीस दिन के अन्दर आपत्तियां नगर पंचायत परतावल, में ली जायेंगी और ऐसी आपत्ति नगर पंचायत परतावल द्वारा नियत तारीख को सुनी जायेगी ।

5–आपत्ति यदि कोई हो तो उज्रदार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में तय की जायेगी । उज्रदार या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आपत्ति पर एक तरफा निर्णय ले लिया जायेगा तथा सूची में ऐसे संशोधन किये जायेंगे जो आवश्यक हों ।

6–निम्नलिखित भवन या भूमि गृहकर से मुक्त होंगे–

(1) भवन या भूमि जिसका वार्षिक मूल्य 360.00 रूपया उससे कम हो ।

(2) भवन या भूमि का अंश जो केवल सार्वजनिक उपासना, कब्रगाह, मजार अनाथालय, गौशाला, धर्मशाला, पड़ाव रजिस्टर्ड सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रयोग में आता हो ।

(3) नगर पंचायत के सब भवन और भूमि ।

(4) जेल, अस्पताल, सरकारी दवाखाना, कोर्ट-पुलिस, मालखाना, कलेक्ट्रेट, रेकार्ड रूम, लिटिमेन्ट शाला, तहसील भवन, जिलाधिकारी तथा अन्य मजिस्ट्रेटों के कोर्ट रूम,सदर खजाना कार्यालय व खाजाना के गार्ड रूम तथा सदर लाकअप। किन्तु उपरोक्त संस्थाओं/शासन द्वारा किराये पर अथवा व्यवसाय पर उठाये जाने वाले भवन कर से मुक्त नहीं होंगे।

नोट–जो धर्मशाला केवल सार्वजनिक प्रयोग के लिए हो उन्हीं को गृहकर से मुक्त किया जाय ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (सं0-2) 1916 की धारा-299 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत परतावल, यह आदेश देती है कि उपर्युक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो रु0 1,000.00 रुपये हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा तो प्रत्येक दिन के लिये उसके बारे में सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता रहा है तो रु0 25.00 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड हो सकता है

प्रियंका,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, परतावल,
जनपद महराजगंज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म–मेसर्स श्री सिद्धि विनायक इण्टरप्राईजेज, पता–मोहल्ला परा, फरीदपुर, जिला बरेली यू0पी0–243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/000109766) का वास्तविक साझेदार है फर्म–श्री सिद्धि विनायक इण्डटप्राईजेज, पता–मोहल्ला परा, फरीदपुर, जिला बरेली यू0पी0 243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/000109766) फर्म में 03 साझेदार– सन्तदास पाण्डेय, संजीव कुमार मिश्रा, जाहिद थे। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 24 जून, 2024 को फर्म में एक नये साझेदार बलविन्दर सिंह खैरा शामिल किये गये हैं तथा फर्म से एक साझेदार जाहिद स्वेच्छा से दिनांक 24 जून, 2024 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब–किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन–देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 03 साझेदार सन्तदास पाण्डेय, संजीव कुमार मिश्रा, बलविन्दर सिंह खैरा हैं। फर्म में एवं साझेदारों मे कोई विवाद नहीं है। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

सन्तदास पाण्डेय,
साझेदार,
मेसर्स श्री सिद्धिविनायक इण्टरप्राइजेज,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है फर्म–मेसर्स अहम जी इण्टरप्राईजेज, मोहल्ला परा फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0009872) का वास्तविक साझेदार है मैसर्स अहम जी इण्टरप्राईजेज, मोहल्ला परा फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0-243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0009872) फर्म में 03 साझेदार- मुलायम सिंह, परमजीत सिंह, असलम खान थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 24 जून, 2024 को फर्म

में एक नये साझेदार सुधांशु शेखर शामिल किये गये हैं तथा फर्म से दो साझेदार मुलायम सिंह, परमजीत सिंह, स्वेच्छा से दिनांक 24 जून, 2024 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब–किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 02 साझेदार असलम खान, सुधांशु शेखर हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

असलम खान,
साझेदार,
मेसर्स अहम जी इण्टरप्राईजेज,
बरेली उ0प्र0

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म–मेसर्स साम्भवी ट्रांसपोर्ट मोहल्ला परा, बरगद के पास फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0–243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0010149) का वास्तविक साझेदार है फर्म– मेसर्स साम्भवी ट्रांसपोर्ट, मोहल्ला परा बरगद के पास फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0–243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0010149) फर्म में 03 साझेदार– रूबी पाण्डेय, मुन्नी देवी, मोहम्मद शील थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 24 जून, 2024 को फर्म में एक नये साझेदार तेज प्रताप सिंह शामिल किये गये हैं तथा फर्म से दो साझेदार मुन्नी देवी, मोहम्मद शकील स्वेच्छा से दिनांक 24 जून, 2024 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब–किताब चुकता हो गया है साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन–देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 02 साझेदार रूबी पाण्डेय, तेज प्रताप सिंह है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

रूबी पाण्डेय,
साझेदार,
मेसर्स साम्भवी ट्रांसपोर्ट,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म–मेसर्स हेमन्त इण्टरप्राईजेज, पता–मोहल्ला परा, फरीदपुर, जिला बरेली यू0पी0 243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0009767) में साझेदार संख्या 02 चला आ रहा था। फर्म में 03 साझेदार – राकेश कुमार पाण्डेय, विनोद कुमार साहू, ताहिर अली खान थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 24 जून, 2024 को फर्म में एक नये साझेदार गुरूपेज सिंह शामिल किये गये हैं तथा फर्म से एक साझेदार ताहिर अली खान स्वेच्छा से दिनांक 24 जून, 2024 को करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब–किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन–देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 03 साझेदार राकेश कुमार पाण्डेय, विनोद कुमार साहू, गुरूपेज सिंह हैं फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

राकेश कुमार पाण्डेय,
साझेदार,
मेसर्स हेमन्त इण्टरप्राइजेज।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म–मेसर्स बाबा गोरखनाथ इण्टरप्राईजेज, पता 45ए मोहल्ला खुशीमल, पीलीभीत यू0पी0 262001 (पंजीकरण संख्या : PIL/0004596) में साझेदार संख्या 02 चला आ रहा था। फर्म में 03 साझेदार–कपिल कुमार, राजीव कान्त पंजाब सिंह थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 24 जून, 2024 को फर्म में दो नये साझेदार योगेश मिश्रा, राकेश कुमार पाण्डेय शामिल किये गये हैं तथा फर्म से एक साझेदार पंजाब सिंह स्वेच्छा से दिनांक 24 जून, 2024 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब–किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन–देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 04 साझेदार कपिल कुमार, राजीव कान्त, योगेश मिश्रा, राकेश कुमार पाण्डेय है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं हैं। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के

सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

कपिल कुमार,
साझेदार,
मेसर्स बाबा गोरखनाथ इण्टरप्राईजेज।

सूचना

मै अभय पान्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पान्डेय ग्राम– मझौरा, पोस्ट– सेमरडाडी, थाना– धनघटा जनपद– संतकबीरनगर का निवासी हूं। मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 23265085 वर्ष 2021 के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में मेरे पिता जी का नाम S N PANDEY त्रुटिवश दर्ज हो गया है जो गलत है, सही नाम सच्चिदानन्द पान्डेय (SACHCHIDANAND PANDEY) एवं मेरे इंटरमिडिएट अनुक्रमांक 22638208 वर्ष 2023 के अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र में मेरे पिता जी का नाम S N PANDEY त्रुटिवश दर्ज हो गया है जो गलत है सही नाम सच्चिदानन्द पान्डेय (SACHCHIDANAND PANDEY) है, जो मेरे पिता के हाईस्कूल के अंकपत्र व आधार में अंकित है।

अभय पाण्डेय

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 7296 5478 1929 में उसका नाम सत्यम पटेल लिखा है जो सही नहीं है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम् पटेल है विद्यालय के अभिलेख में भी मेरे पुत्र का सही नाम शिवम् पटेल लिखा गया है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवम् पटेल पुत्र राधेश्याम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

राधे श्याम पुत्र शिव कुमार,
निवासी ग्राम दोहरी पोस्ट कंधई,
हनुमानगंज जिला प्रतापगढ़,
उ0प्र0 पिन नं0 230403

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रांशी पाण्डेय पुत्री जय राम पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 8058 4176 4590 में काश्वी पाण्डेय अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को प्रांशी पाण्डये पुत्री जय राम पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

जयराम पाण्डेय,
पुत्र सतीश पाण्डेय,
नि0 ग्राम-कूढ़ा प्यासी का पुरा अटरामपुर,
उर्फ नवाबगंज तहसील– सोरांव
जिला–प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सार्थक शुक्ला पुत्र नीरज शुक्ला है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटि वश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या– 5763 6595 6961 में उसका नाम अमन शुक्ला अंकित हो गया है जो मेरे पुत्र का घरेलू नाम है। उपयुक्त दोनों नाम मेरे पुत्र के ही है भविष्य मे मेरे पुत्र को सार्थक शुक्ला पुत्र नीरज शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

कंचन शुक्ला,
पत्नी स्व0 नीरज शुक्ला
निवासी–नचना,अकोढ़ा
करछना, प्रयागराज-212301

सूचना

मैं अरूण कुमार तिवारी पुत्र श्री बाबादीन तिवारी निवासी ग्राम हंगुरिहनपुरवा पो0 मरचौर, परसपुर करनैलगंज, गोण्डा का पार्टनरशीप फर्म एम0एस0 एन्जिल प्रोजेक्ट फर्म निबन्धन के कार्यालय में पंजीकरण सं0 जी ओ एन/0001361 जिसमें अरूण कुमार तिवारी व श्रीमती मालती तिवारी इसके पार्टनर हैं फर्म एम0एस0 एन्जिल प्रोजेक्ट से श्रीमती मालती तिवारी ने स्वेच्छा से लिखित सूचना देकर पृथक हो गयी है जिनका फर्म से किसी प्रकार का देयता नही है। मैने साझेदारी फर्म एम0एस0 एन्जिल प्रोजेक्ट मे अश्वनी तिवारी पुत्र श्री अरूण तिवारी निवासी ग्राम छंगुरिहनपुरवा पो0 परचौर गोण्डा को साझेदारी के रूप में शामिल किया गया है।

अरूण कुमार तिवारी

सूचना

मेरी आर्मी संख्या JC NAYA14427134M में मेरा नाम Dargpal Singh गलत दर्ज है जबकि मेरे समस्त अभिलेखो में मेरा नाम Dragpal Singh है जो सही है। Dragpal singh पुत्र हरनाथ सिंह निवासी–ग्राम बरगढ़ पोस्ट रहंक तहसील सरीला जिला हमीरपुर उ0प्र0।

द्रगपाल सिंह

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लावण्या भरतिया (LAVANNYA BHARTIA) पुत्री विनीत भरितया है जो उसके शैक्षिक अभिलख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 2655 4770 1115 में पंखुड़ी भरतिया अंकित हो गया है जो कि वह उसका घरेलू नाम है।

भविष्य में मेरी पुत्री को लावण्या भरतिया पुत्री विनीत भरतिया के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

विनीत भरतिया,
फ्लैट नं0–610, ब्लाक–बी,
रूद्रा टावर, सुन्दरपुर, वाराणसी,
पिन कोड–221005, उ0प्र0

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे माता का सही नाम कमलावती देवी है जो उनके आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक-23277991 में मेरे माता का नाम अरविंद कमलावती (ARVIND KAMLAWATI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। श्रीशांत पुत्र अरविंद गुप्ता, वार्ड नंबर-18 सुभाष चंद्र बोस नगर, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

SHRISHANT

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि साझीदारी फर्म मे0 राधिका कांस्ट्रक्शन, इन्दिरा नगर, बांदा, जिला–बांदा दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 को संख्या 1776 जे03228 को प्रारम्भ की गई थी, जिसमें साझीदार राकेश तिवारी पुत्र श्री कामता प्रसाद एवं कामता प्रसाद पुत्र स्व0 रामाधार, निवासी इन्दिरा नगर, बांदा एवं प्रेम कुमार द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री इन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी कालू कुआं, बांदा थे। दिनांक 20 जून, 2024 को यह फर्म विघटित कर दी गई है। फर्म में किसी भी व्यक्ति की लेनदारी व देनदारी नहीं है। अब आगे उक्त फर्म का संचालन प्रोपराइटर की हैसियत से राकेश तिवारी द्वारा यथावत् किया जायेगा पूर्व में पड़े भुगतान एवं विभागों में लगी सम्पूर्ण एफ0डी0आर0 का क्रियान्वयन राकेश तिवारी द्वारा ही आगे किया जायेगा उक्त फर्म के साझीदार को उक्त फर्म के विघटन से कोई आपत्ति नहीं है।

राकेश तिवारी
साझेदार,
मे0 राधिका कांस्ट्रक्शन,
इन्दिरा नगर, बांदा

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ग्रन्थ गुप्ता है जो कि शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4045 3110 1154 में उसका नाम यथार्थ अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे पुत्र का ही है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ग्रन्थ गुप्ता पुत्र अमित कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

अमित कुमार,
निवसी–5/100, ईडब्लूएस,
आवास विकास कालोनी झूंसी,
प्रयागराज यू0पी0

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म0 मे0 सुप्रीम एग्रो राईस इन्डस्ट्रीज, पता-डांडी0 हमीर, रिछा, बहेड़ी, बरेली पंजीकरण सं0 BAR/0007796 दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को फर्म में कुल 7 साझेदार मो0 आरिफ, मो0 ताहिर, मो0 साजिद, मो0 इस्लाम, इरमनाज, नसीम अहमद व अनीसा बेगम थे। साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 01 सितम्बर, 2022 को एक साझेदार मो0 साजिद पुत्र श्री अब्दुल खालिक ने अपनी सवेच्छा से अवकाश

ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे तथा फर्म में एक नये साझेदार मो0 जहाँगीर अंसारी सम्मिलित हो गये थे। इसी प्राकर साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 23 जनवरी, 2023 को एक अन्य साझेदार मो0 आरिफ पुत्र श्री अब्दुल खालिक ने अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे व दिनांक 23 जनवरी, 2023 को ही एक नये साझेदार नुसरत जहाँ को सम्मिलित किया गया। दिनांक 17 मार्च, 2023 को साझेदारों की रजामंदी से एक साझेदार मो0 ताहिर पुत्र श्री अब्दुल खालिक स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करके फर्म से बाहर हो गये थे। अब फर्म में कुल 6 साझेदार नुसरत जहाँ, मो0 इसलाम, मो0 जहाँगीर अंसारी, नसीम अहमद, अनीसा बेगम व इरम नाज है।

उपरोक्त उवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया था तथा फर्म के सझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी है।

मो0 जहाँगीर अंन्सारी,
साझेदार,
मेसर्स सुप्रीम एग्रो राईस इन्डस्ट्रीज,
पता-डांडी0 हमीर रिछा,
तह0 बहेड़ी, जिला बरेली।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स-इन्डोवर्जीनिया तम्बाकू कं0 777 लोधवारी हाउस, सिविल लाईन, रायबरेली रजि0नं0177400 का पंजीकरण दिनांक 11 मई, 1987 को कराया गया था तथा संशोधन 09 सितम्बर, 1992 को कराया गया था जिसमें प्रताप सिंह राठौर, हर्षपाल सिंह एवं मुन्नू लाल श्रीवास्तव तीन साझीदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझीदार प्रताप सिंह राठौर का निधन दिनांक 21 अगस्त, 2009 एवं द्वितीय साझेदार हर्षपाल सिंह का निधन 17 नवम्बर, 2011 को हो गया है तथा उनके स्थान पर सत्येन्द्र प्रताप सिंह निवासी-1048 लोधवारी कोठी, रायबरेली एवं आशुतोष प्रताप सिंह निवासी ग्राम-मऊशर्की, पो0 मऊगर्वी रायबरेली को दिनांक 15 फरवरी, 2012 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में सत्येन्द्र प्रताप सिंह, अशुतोष प्रताप सिंह एवं मुन्नू लाल श्रीवास्तव साझेदार के रूप में सम्मिलित है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

मुन्नू लाल श्रीवास्तव,
साझेदार,
मेसर्स-इन्डोवर्जीनिया तम्बाकू कं0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अक्षय कुमार पुत्र संजीव कुमार तिवारी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल0आई0सी0 पालिसी संख्या-233360458 में मेरा नाम चिराग तिवारी अंकित हो गया है। जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे ''अक्षय कुमार'' के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अक्षय कुमार,
पुत्र संजीव कुमार तिवारी
मं0नं0 310/12, बाबुपुरवा,
कॉलोनी टी0पी0 नगर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स,-शिव शक्ति ब्रिक फील्ड, बिलौली बाजार, महमूदाबाद, जिला-सीतापुर उ0प्र0 रजि0 नं0–200742 को दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को करायी गयी थी जिसमें सेरुश चन्द्र प्रथम एवं वीरेश चन्द्र द्वितीय सझीदार थे। उक्त फर्म के द्वितीय साझीदार वीरेश चन्द्र दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से स्वेच्छा से अलग हो गयी हैं तथा भविष्य में इस फर्म से इनका कोई लेना–देना नही होगा एवं उनके स्थान पर अतुल कुमार वर्मा निवासी ग्राम–जसमंडा, पो0–सरैया, महिपत सिंह, महमूदाबाद, जिला सीतापुर को दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में सुरेश चन्द्र एवं अतुल कुमार वर्मा साझीदार के रूप में सम्मिलित है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सुरेश चन्द्र,
साझेदार,
मेसर्स-शिव शक्ति ब्रिक फिल्ड।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 चेतन कोल्ड स्टोरेज, मुखियाजी हाऊस, विलेज थोक वृन्दावनी पोस्ट सोनई तहसील मॉट जिला मथुरा के भागीदारों/विद्यान में परिवर्तन सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक– 19 जून, 2024 से श्री अमित कुमार पुत्र श्री जगदीश तथा श्री मुकेश चन्द उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उपाध्याय निवासीगण–विलेज थोक वृन्दावनी थोकज्ञान पोस्ट सोनई जिला मथुरा, एवं श्री दीपक तिवारी पुत्र श्री राकेश कुमार तिवारी निवासी–शर्मा टैण्ट हाउस, राया–सादाबाद रोड़, जिला मथुरा उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म में श्री चेतन कुमार, श्रीमती अर्चना उपाध्याय, श्री राकेश कुमार, श्री अमित कुमार, श्री मुकेश चन्द उपाध्याय व श्री दीपक तिवारी भागीदार हो गये है।

चेतन कुमार,
भागीदार,
मे0 चेतन कोल्ड स्टोरेज,
मुखियाजी हाऊस, विलेज थोक वृन्दावनी,
पोस्ट सोनई, तहसील मॉट, जिला मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 ओम बिल्डकॉम, 1349 जय श्री कॉलोनी, शाहगंज दरवाजा, मथुरा–281001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक 11 फरवरी, 2023 को श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री भिक्की लाल अग्रवाल निवासी– 343 जुगल घाट, बड़ वाला मौहल्ला, वृन्दावन, मथुरा तथा श्री कृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री राम नरेश गौतम निवासी–मं0नं0–40 सैक्टर–4, श्री राधापुरम एस्टेट, गनेसरा, मथुरा को उक्त फर्म में साझेदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक 11 फरवरी, 2023 को ही श्रीमती ओमवती अग्रवाल पत्नी स्व0श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी–मं0नं0 1349 शाहगंज दरवाजा, प्लॉट नं0–13/14 जयश्री कॉलोनी, मसानी चौक, मथुरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गई है।

यह कि दिनांक 08 अप्रैल, 2024 को श्रीमती पुष्पा रानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल निवासी–343 जुगल घाट, बड़ वाला मौहल्ला वृन्दावन, मथुरा को उक्त फर्म में साझेदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा रानी, श्री कृष्ण कुमार चौबिया तथा श्री राघव अग्रवाल भागीदार है।

राघव अग्रवाल,
भागीदार,
मे0 ओम बिल्डकॉम,
1349 जय श्री कॉलोनी,
शाहगंज दरवाजा, मथुरा–281001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S JAIN TRANSPORT CO. 229 Transport Nagar, Dhaknapurwa Kanpur के संविधान में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है –

1– यह कि पंजीकृत पार्टनरशिप डीड के नियमित साझीदार Suraj Devi W/o Shanti Kumar Jain R/o 2 C Jadu Lal Malik Road Calcutta-6 का निधम दिनांक 08 जनवरी, 1998 को हो गया है तथा दिनांक 09 जनवरी, 1998 को फर्म की साझीदारी में Prem Prakash Jain as Karta of Shri shanti Kumar Kamdar HUF S/o Late Shri Shanti Kumar Kamdar R/o 2 C Jadu Lal Mallick Road Calcutta-6 अपनी स्वेच्छा से शामिल हो गये हैं।

2– यह कि पंजीकृत पार्टनरशिप डीड के नियमित साझीदार Ummed Mal Jain S/o Late Shri Chhagan Lal Jain R/o 7A2 Rajpura Road Delhi दिनांक 01 अप्रैल, 2000 को अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म में रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2000 को फर्म की साझीदारी में Suresh Kumar Jain S/o Shri Vijay Kumar Jain R/o 24/26 Karachi Khana Kanpur Nagar अपनी स्वेच्छा से शामिल हो गये हैं।

3– यह कि पंजीकृत पार्टनरशिप डीड के नियमित साझीदार Pradeep Kumar Jain S/o Late Bhanwar Lal Jain R/o J-235 Adarsh Nagar Jaipur Rajasthan दिनांक 01 दिसम्बर, 2002 को अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म से रिटायर हो गये हैं।

4– यह कि पंजीकृत पार्टनरशिप डीड दिनांक 14 मार्च, 2024 के अनुसार फर्म के साझीदारों के पता परिवर्तित हो गये हैं एवं वर्तमान में निम्नानुसार साझीदार है :–

Name	Old Address	New Address
Vijay Kumar Jain S/o Late Chhagan lal Jain	24/26 Karachi Khana Kanpur Nagar	17/26, 3rd Floor, Shakti Nagar Near Dhariwal Chowk North Delhi 110007.
Prem Prakash Jain as Karta of Shanti Kumar Kamdar HUF S/o Late Shanti Kumar Kamdar	2 C Jadu Lal Mallick Road Calcutta-6	22 G.C. Ghosh Lake Town, South Dumdum(m) North 24, Parganes West Bangal 700048
Suresh Kumar Jain S/o Shri Vijay Kumar Jain	24/26 Karachi Khana, Kanpur Nagar	17/26, 3rd Floor, Shakti Nagar Near Dhariwal Chowk, North Delhi 110007

Vijay Kumar Jain
साझीदार,
M/s JAIN TRANSPORT CO.,
229 Transport Nagar,
Dhaknapurwa Kanpur Nagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s STOCKPILE WAREHOUSING 46/96 HALSEY ROAD, KANPUR NAGAR-208001 में दिनांक 01 जनवरी 2024 से उक्त फर्म की साझीदारी में Mr. Sahil Arora, Age 26, S/o Mr. Rakesh Arora, R/o 117/H2/57 Pandu Nagar, Kanpur 208005 अपनी स्वेच्छा से शामिल हो गये हैं–

दिनांक 01 जनवरी 2024 से उक्त फर्म की साझीदारी की स्थिति निम्नवत् है –

(1) Mr. Mohit Jain, Age 36 years, S/o Mr. Rajeev Jain R/o 47/119 Hatia, Ban Bazar Kanpur Nagar-208001 U.P.

(2) Mrs. Neelam Jain, Age 57 years W/o Mr. Rajeev Jain R/o 47/119 Hatia, Ban Bazar kanpur Nagar-208001 U.P.

(3) Mr. Sahil Arora, Age 26, S/o Mr. Rakesh Arora, R/o 117/H2/57 Pandu Nagar, Kanpur-208005.

Mohit Jain,
साझीदार,
M/s STOCKPILE WAREHOUSING,
46/96 Halsey Road, Kanpur Nagar-208001

सूचना

सूचित किया जाता है कि M/s ICON BUILDERS, 127/219-A, Juhi Kalan, Kanpur में निम्न परिवर्तन की सूचना देता हूँ –

(1) Surendra Jakhodia, (2) Shri Siddharth Jakhodia, (3) Smt. Madhu Jakhodia, (4) Shri Somendra Jakhodia दिनांक 25 अगस्त, 2023 से फर्म की साझीदारी में अपनी स्वेच्छा से शामिल हो गये हैं –

दिनांक 25 अगस्त, 2023 से फर्म की साझीदारों की स्थिति निम्नवत् है –

1. Shri Rajendra Kumar Agarwal S/o Late Dau Dayal Agarwal R/o 128/558, K-Block, G2, Kidwai Nagar, Kanpur.

2. Shri Rakesh Kumar Garg S/o Late Roop Kishore Garg R/o 35 Carriapa Road, Cantonment, Kanpur.

3. Shri Atul Kumar Garg S/o Late Roop Kishore Garg R/o 35 Carriapa Road, Cantonment, Kanpur.

4. Shri Pawan Kumar Garg S/o Late Roop Kishore Garg R/o 35 Carriapa Road, Cantoment, Kanpur.

5. Shri Surendra Jakhodia S/o Mahadeo Prasad R/o 18 Shiv Godawari Nagar, Pokharpur, Kanpur.

6. Shri Siddharth Jakhodia S/o Surendra Jakhodia R/o 18 Shiv Godawari Nagar, Pokharpur, Kanpur.

7. Smt. Madhu Jakhodia W/o Somendra Jakhodia R/o 18 Shiv Godawari Nagar, Pokharpur, Kanpur.

8. Shri Somendra Jakhodia W/o Mahadeo Prasad R/o 18 Shiv Godawari Nagar, Pokharpur, Kanpur.

Rakesh Kumar Garg,
साझीदार,
M/s ICON BUILDERS,
127/219-A, Juhi Kalan, Kanpur.

NOTICE

BE IT known to all that in my High School Mark Sheet (Roll. no. 5016110) and Intermediate Mark Sheet (Roll no. 5617310). My Parent's Name is wrongly mentioned as Veena and Utpal Kumar. As per my mother's Aadhaar no. 214648983311 her correct name is Veena Sarkar and as per my father's Aadhaar no. 223396986201 his correct name is Utpal Kumar Sarkar. In future, my mother should be known by Veena Sarkar and father should be known Utpal Kumar Sarkar. 292B/4 Lukerganj, Prayagraj.

Vaishnavi,
D/o Utpal Kumar Sarkar,
292B/4 Lukerganj, Prayagraj.

NOTICE

I Vineet Kumar Singh R/o Village-Faridpur, Post-Rohaniya, Distt- Varanasi declared that in my son's Aadhar Card No. 549670315269 name is Kartikey Singh. I change his name from Kartikey Singh to Yatharth Singh in Aadhar As well as educational documents. In future he knows as Yatharth Singh for all purpose.

Vineet Kumar Singh.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स प्रेम इंडस्ट्रीज, प्लॉट नंबर बी5–बी6 यूपीएसआईडीए, फूलपुर, कारखियावं जिला वाराणसी में स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्रीमती हेमलता जायसवाल वाइफ ऑफ श्री संतोष जायसवाल, निवासी एस 9/11–बी, हुकुलगंज, नई बस्ती, वाराणसी व श्रीमती छाया तिवारी वाइफ ऑफ श्री संजय तिवारी, निवासी एम 35 ए, सेक्टर एम, एल डी ए कॉलोनी, अशियाना कॉलोनी, कानपुर रोड, बक्शी का तालाब, लखनऊ में साझेदार थी। मेसर्स प्रेम इंडस्ट्रीज, फूलपुर, कारखियावं जिला वाराणसी में साझेदार थी। श्रीमती छाया तिवारी वाइफ ऑफ श्री संजय तिवारी दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को फर्म मेसर्स प्रेम इंडस्ट्रीज से सेवानिवृत्त हो गई हैं एवं श्री निशांत जायसवाल पुत्र श्री संतोष जायसवाल निवासी एस 9/11–बी, हुकुलगंज, नई बस्ती, वाराणसी एवं श्री देवेश जायसवाल पुत्र श्री संतोष जायसवाल निवासी एस 9/11–बी, हुकुलगंज, नई बस्ती, वाराणसी दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से फर्म मेसर्स प्रेम इंडस्ट्रीज में सम्मिलित हो गये है। तर्वमान में फर्म में श्रीमती हेमलता जायसवाल एवं श्री निशांत जायसवाल एवं श्री देवेश जायसवाल साझेदार है।

हेमलता जायसवाल

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सिद्धार्थ पुत्र राकेश शुक्ला निवासी-3/1 अलीशा एपार्टमेन्ट मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ का हूँ तथा मेरे शैक्षिक एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम सिद्धार्थ अंकित है परन्तु कुछ शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला हो गया है, सिद्धार्थ एवं सिद्धार्थ शुक्ला मेरे ही नाम है, भविष्य में मुझे सिद्धार्थ के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सिद्धार्थ

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मोहम्मद उमर कुरैशी 53 पुरा फतेह मोहम्मद नैनी प्रयागराज में स्थित है। उपरोक्त फर्म में मोहम्मद उमर कुरैशी पुत्र वली मोहम्मद निवासी पता 221/53 पुरा फतेह मोहम्मद नैनी प्रयागराज है। मोहम्मद जफर कुरैशी, मोहम्मद कमर कुरैशी, मोहम्मद नसर कुरैशी, मोहम्मद मुजफ्फर पुत्रगण मोहम्मद उमर कुरैशी निवासी 221/53 पुरा फतेह मोहम्मद नैनी प्रयागराज है। साझेदारी फर्म में

दिनांक 01 अप्रैल, 2014 संचालित कर रहे थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को मोहम्मद उमर कुरैशी साझेदारी से पृथक हो गए एवं उनके स्थान पर मोहम्मद बदर कुरैशी पुत्र मोहम्मद उमर कुरैशी निवासी 221/53 पुरा फतेह मोहम्मद नैनी प्रयागराज साझेदार हो गये। पृथक हुए सझीदार का अब इस फर्म में कोई दायित्व नही हैं। अब फर्म में मोहम्मद बदर कुरैशी और पूर्व के चार साझीदार हैं जिनकी साझेदारी क्रमांक 20 प्रतिशत थी उनके रूप में संचालित करेगे।

मोहम्मद नसर कुरैशी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सविता केसरवानी पत्नी श्याम बिहारी गुप्ता है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड नं0-(सीएलजेपीके -8266जे) एवं आधार नं0-6572 9184 3123 में अंकित है। त्रुटिवश ए डी एफ फूड के शेयर सर्टीफिकेट नं0-0018687 एवं फोलियो नं0 एस 001558/0220773/18680 में मेरा नाम सविता गुप्ता पत्नी श्याम बिहारी गुप्ता अंकित है, हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सविता केसरवानी पत्नी श्याम बिहारी गुप्ता पता-212/1 शास्त्री नगर रसूलपुर प्रयागराज के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सविता केसरवानी,
पत्नी श्याम बिहारी गुप्ता,
पता-212/1 शास्त्री नगर,
रसूलपुर, प्रयागराज।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-नासिर ओवरसेस सर्विस, शाप नं0 15,16 और 17, फर्स्ट फ्लोर सिटी प्लाजा फतेहगंज, अमीनाबाद लखनऊ, लखनऊ-226018 से पंजीकृत है फर्म में दो साझेदार क्रमशः श्री नासिर अहमद पुत्र श्री सिद्दीकी मोहम्मद एवं श्री शेख मोहम्मद इलियास पुत्र श्री अब्दुल रहीम अब्दुल अब्दुलइजाक शेख साझेदार थे दिनांक 04 जून, 2024 को नई साझेदारी बनी जिसमें एक साझेदार श्रीमती खुशनिगार मंसूरी पुत्री श्री नसीर अहमद मंसूरी शामिल हो रही हैं तथा दिनांक 04 जून, 2024 से फर्म का पता शाप नं0 15,16 और 17, फर्स्ट फ्लोर सिटी प्लाजा फतेहगंज, अमीनाबाद लखनऊ, लखनऊ-226018 परिवर्तित हो कर स्पेस नं0-2 एल0जी0एफ0 ज्वेल हाइट्स सेचुएट्ड एट बिशेश्वर नाथ रोड (बी0एन0रोड) वार्ड जगदीश चन्द्र बोस, लखनऊ, उ0प्र0 हो गया है वर्तमान में तीन साझेदार है।

क्रमशः श्री नासिर अहमद, श्री शेख मोहम्मद इलियास एवं श्रीमती खुशनीगार मंसूरी साझेदार है।

श्री नासिर अहमद
साझेदार
मेसर्स-नासिर ओवरसेस सर्विस।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्रीजी सर्विस स्टेशन, खसरा नं0–225, ग्राम ततारपुर, जिला–हापुड–245101 की साझीदारी में श्री रेनूका रावत एवं श्री दीपांशु गर्ग साझीदार थे। दिनांक 15 मई, 2024 को श्री इन्द्रजीत गर्ग फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा श्रीमती रेनूका रावत फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब–किताब ले–देकर अलग हो गयी है। दिनांक 15 मई, 2024 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री दीपांशु गर्ग एवं श्री इन्द्रजीत गर्ग साझीदार है। यह घोषणा कर हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिपांशु गर्ग,
साझीदार,
मेसर्स श्रीजी सर्विस स्टेशन,
खसरा नं0-225, ग्राम ततारपुर,
जिला-हापुड–245101

सूचना

सूचित किया जाता है कि सर्वश्री कोहिनूर रबर इण्डस्ट्रीज, रामनगर, चंदोली के साझेदार इश्तियाक अहमद, निकहत आरा, निकहत परवीन और इरशाद अहमद फर्म के पार्टनर हैं जिसका पंजीयन संख्या 1316/7 वी–9315 दिनांक 11 जुलाई, 1996 रजिस्टर है। इश्तियाक अहमद की मृत्यु दिनांक 22 जून, 2006 को हो

गयी। फर्म में उनके पुत्र श्री बख्तियार अहमद को 01 नवम्बर, 2023 में शामिल किया जा रहा है, इसमें किसी साझेदार को कोई आपत्ति नहीं है न ही भविष्य में होगी। फर्म का कार्य संचालित हो रहा है।

बख्तियार अहमद,
साझीदार,
मेसर्स कोहिनूर रबर इण्डस्ट्रीज,
ई 34, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट,
रामनगर, चंदोली

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 डा0 कमलेश टण्डन हास्पीटल एण्ड टेस्ट टयूब बेबी सेन्टर, 4/48 लाजपात कुंज खंदारी आगरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्रीमती डा0 कमलेश टण्डन पुत्री श्री एस सी सूरी, डा0 अमित टण्डन पुत्र श्री आर0 के टण्डन सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को संचालन की थी दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से डा0 श्रीमती वैशाली टण्डन पुत्री श्री आनन्द कुमार गोविल नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये है दिनांक 04 अप्रैल, 2019 श्रीमती डा0कमलेश टण्डन पुत्री श्री एस सी सूरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नही है अब फर्म श्री डा0 अमित टण्डन, श्रीमती डा0 वैशाली टण्डन संचालित करेंगे।

डा0 अमित टण्डन,
साझेदार।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स HINDUSTAN ENGINEERING WORKS, 27 New Road, Jhansi, U.P.-284001 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–Sudeep jha 2-Ramesh Chand

जिसमे दिनांक 20 जून, 2023 को Ramesh Chand जी का स्वर्गवास हो गया अतः उनके स्थान पर Dr. Shubha Jha शामिल हो रही है।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

Sudeep Jha
साझेदार
M/s HINDUSTAN ENGINEERING WORKS,
27 New Road, Jhansi, U.P.-284001

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री रामजानकी ग्रेनाइट, बघवा, कबरई, जिला महोबा उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत है जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1-सीता यादव 2-रजनी यादव

जिसमे दिनांक 06 अगस्त, 2019 से सत्येन्द्र कुमार यादव शामिल हो रहे उसके बाद दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को सीता यादव एवं रजनी यादव अपनी स्वेच्छा से पृथक हो रही है उनके स्थान पर कंधी लाल यादव शामिल हो रहे है।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सत्येन्द्र कुमार यादव
साझेदार,
मेसर्स श्री रामजानकी ग्रेनाइट,
बघवा, कबरई, जिला महोबा उ0प्र0

सूचना

फर्म मे0 मंगलम कोल्ड स्टोरेज पता–377 आर्यनगर, बाईपास रोड फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी–6666 में दिनांक 24 मई, 2024 को श्री अनुराग यादव पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह यादव निवासी–377 आर्य नगर बाईपास रोड फिरोजाबाद एवं श्री निशीत यादव पुत्र श्री स्व0 महेन्द्र सिंह यादव निवासी–377 आर्य नगर बाईबास रोड फिरोजाबाद व श्रीमती मिथलेश यादव पुत्री श्री रनवीर सिंह निवासी–377 आर्य नगर बाईपास रोड फिरोजाबाद अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुये तद्दिनांक को श्री आलोक कुमार यादव पुत्र श्री रामदास यादव निवासी–373/14 आर्यनगर बाई पास रोड

फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये। वर्तमान फर्म में भागीदार श्री रामदास यादव, श्रीमती कुसुम यादव, श्री अशीष यादव, श्री आलोक कुमार यादव है।

रामदास यादव,
साझेदार,
मे0 मंगलम कोल्ड स्टोरेज,
पता–377 आर्यनगर,
बाईपास रोड फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित हो कि मेरे इंटरमिडिएट विज्ञान वर्ग CBSC बोर्ड के अंकपत्र में अनुक्रमांक नम्बर–23743183 है जो 2021 में उत्तीर्ण किया हूं जिसमें मेरी माता का नाम नैनतारा देवी NAINTARA DEVI जो गलत दर्ज हो गया है सही नाम नयनतारा यादव NAYANTARA YADAV आधार कार्ड के अनुसार सत्य एवं सही है। विपिन कुमार यादव पुत्र श्री राकेश कुमार यादव निवासी–ग्राम सलारपुर, पोस्ट गोशन्देपुर, थाना करण्डा, तहसील व जिला गाजीपुर, उ0प्र0।

VIPIN YADAV

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रनव श्रीनेत पुत्र सिद्धार्थ श्रीनेत है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3527 2904 8846 में उसका नाम कृष्णा श्रीनेत अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रनव श्रीनेत पुत्र सिद्धार्थ श्रीनेत के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सिद्धार्थ श्रीनेत
पता–ए–57/21 सेक्टर–1,
सुलभ आवास योजना,
गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ उ0प्र0–226010.

पी0एस0यू0पी0–14 हिन्दी गजट–भाग 8–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।